

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-545

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्षमता वृद्धि

**\*545. श्रीमती के. मरगथम:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम वर्तमान में देश के कई स्थानों पर 20,000 मेगावाट से अधिक की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

विवरण

"राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्षमता वृद्धि" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 545 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यमों और इसकी सहायक कंपनियों सहित एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 19,751 मेगावाट की क्षमता निर्माणाधीन है। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्षमता वृद्धि" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 545 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

भारत में निर्माणाधीन एनटीपीसी की परियोजनाएं (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	परियोजना	ईंधन प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
<b>एनटीपीसी के स्वामित्व वाली परियोजनाएं</b>				
1.	असम	बोंगाईगांव	कोयला	250
2.	बिहार	बाढ़-I	कोयला	1980
3.	छत्तीसगढ़	लारा-I	कोयला	800
4.	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा	कोयला	1980
5.	मध्य प्रदेश	खारगोन	कोयला	1320
6.	मध्य प्रदेश	गदरवारा-I	कोयला	1600
7.	महाराष्ट्र	सोलापुर	कोयला	660
8.	ओडिशा	डार्लीपल्ली-I	कोयला	1600
9.	उत्तर प्रदेश	टांडा-II	कोयला	1320
10.	उत्तराखंड	तपोवन विष्णुगाड	हाइड्रो	520
11.	उत्तराखंड	लता तपोवन	हाइड्रो	171
12.	पश्चिम बंगाल	रम्माम-III	हाइड्रो	120
13.	तेलंगाना	तेलंगाना	कोयला	1600
<b>सहायक/संयुक्त उद्यम परियोजनाएं</b>				
14.	झारखंड	पतरातु, पीवीयूएनएल	कोयला	2400
15.	बिहार	नबीनगर, बीआरबीसीएल	कोयला	500
16.	बिहार	नबीनगर, एनपीजीसीपीएल	कोयला	1980
17.	उत्तर प्रदेश	मेजा, एमयूएनपीएल	कोयला	660
18.	ओडिशा	राउरकेला पीपी-II	कोयला	250
19.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर पावर प्रोजेक्ट-III	कोयला	40
<b>कुल</b>				<b>19,751 मेगावाट</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-548

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन के लिए डीजल जेनसेट का उपयोग

\*548. डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या औद्योगिक यूनिट अपनी आवश्यकता के अनुरूप विद्युत उत्पादन के लिए बड़े-बड़े डीजल जेनसेट का उपयोग करते हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारी मध्यम तथा छोटे उद्योगों द्वारा राज्य-वार कितनी विद्युत का उपयोग किया गया;
- (ग) क्या इससे विभिन्न कार्यों के लिए डीजल की बर्बादी या अधिक उपयोग हुआ है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे उपयोग से कितनी क्षति हुई;
- (घ) क्या डीजल जेनसेट के उपयोग से उत्पादों के लागत मूल्य बढ़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है; और
- (ङ) विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं तथा सभी के लिए बिजली हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य-वर्ष क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत उत्पादन के लिए डीजल जेनसेट का उपयोग" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 548 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) से (घ) : विगत तीन वर्षों के दौरान डीजल जेनसेटों से उद्योगों द्वारा उपयोग की गई विद्युत की राज्य-वार मात्रा अनुबंध में दी गई है। डीजल जेनसेटों से उद्योगों द्वारा विद्युत की खपत 2014-15 के दौरान 8,868 मिलियन यूनिट (एमयू) (कुल उत्पादन का 0.8%) से घटकर 2016-17 के दौरान 8,315 यूनिट (कुल उत्पादन का 0.67%) हो गई है। यह दर्शाती है कि विगत तीन वर्षों के दौरान उद्योगों की विद्युत की मांग में वृद्धि राष्ट्रीय विद्युत ग्रिडों से पूरी की गई है और डीजल पर निर्भरता कम हो रही है।

सामान्य तौर पर विद्युत उत्पादन के लिए डीजल के प्रयोग से उद्योग में विद्युत की इनपुट लागत में वृद्धि हुई है।

वर्तमान में राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है। डिस्कॉम उद्योगों को 24X7 विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करने के लिए अधिक विद्युत खरीद सकते हैं। उद्योग खुली पहुँच में भी विद्युत खरीद सकते हैं।

(ड) : विद्युत की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तथा भावी विद्युत मांग को पूरा करने के लिए परंपरागत स्रोतों से लगभग 58,384 मेगावाट उत्पादन क्षमता निर्माणाधीन है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हासिल किए जाने हेतु 175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) क्षमता का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

सरकार ने भी 2019 तक सभी उपभोक्ताओं के लिए 24X7 विद्युत सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को अनुरोध किया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

"विद्युत उत्पादन के लिए डीजल जेनसेट का उपयोग" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 548 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

1 मेगावाट और उससे अधिक के डीजल आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों वाले उद्योगों द्वारा राज्य-वार विद्युत खपत आंकड़े (जीडब्ल्यूएच) में			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17
चंडीगढ़	1.68	1.22	2.18
दिल्ली	1.33	1.54	2.17
हरियाणा	362.86	318.69	382.84
हिमाचल प्रदेश	95.95	91.52	42.54
जम्मू व कश्मीर	3.50	3.50	2.25
पंजाब	335.04	310.19	369.45
राजस्थान	558.46	575.73	677.61
उत्तर प्रदेश	744.01	561.18	536.75
उत्तराखंड	206.26	227.18	169.67
<b>उप-जोड़ (एनआर)</b>	<b>2309.09</b>	<b>2090.75</b>	<b>2185.46</b>
छत्तीसगढ़	3.70	136.65	522.36
गुजरात	1454.53	1587.91	1562.40
मध्य प्रदेश	129.92	205.01	251.79
महाराष्ट्र	776.38	987.60	1528.78
दमन व दीव	0.80	0.80	1.92
दादरा व नागर हवेली	2.28	2.28	2.65
गोवा	70.91	67.18	94.75
<b>उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)</b>	<b>2438.52</b>	<b>2987.44</b>	<b>3964.65</b>
आंध्र प्रदेश	67.40	74.31	59.08
तेलंगाना	134.95	98.79	104.13
कर्नाटक	1206.94	1344.46	843.57
केरल	155.71	21.18	7.78
तमिलनाडु	2028.20	541.71	540.68
पुडुचेरी	21.11	8.45	9.24
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
<b>उप-जोड़ (एसआर)</b>	<b>3614.31</b>	<b>2088.90</b>	<b>1564.48</b>
बिहार	1.25	1.19	1.23
झारखंड	6.20	9.26	5.80
ओडिशा	456.12	476.56	463.45
पश्चिम बंगाल	17.37	8.65	106.96
सिक्किम	0.00	0.00	0.00
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
<b>उप-जोड़ (ईआर)</b>	<b>480.94</b>	<b>495.67</b>	<b>577.44</b>
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
असम	5.97	5.73	5.75
मणिपुर	0.00	0.00	0.00
मेघालय	18.92	19.39	17.59
मिजोरम	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
<b>उप-जोड़ (एनईआर)</b>	<b>24.90</b>	<b>25.12</b>	<b>23.34</b>
<b>कुल अखिल भारत</b>	<b>8867.76</b>	<b>7687.87</b>	<b>8315.36</b>

\* अनंतिम

\* कैप्टिव विद्युत यूनिटों से विद्युत उत्पादन के संबंध में आंकड़े वार्षिक रूप से उद्योगों द्वारा भेजे जाते हैं तथा वर्तमान वर्ष 2017-18 के लिए आंकड़े 31 मार्च, 2018 के पश्चात ही उद्योगों द्वारा भेजे जाएंगे।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-551

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति

\*551. श्री पंकज चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर रूप में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार लोगों की समस्याओं, जैसे विद्युत में कटौती, विद्युत बिल में अनियमितता और नए विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार उक्त समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 551 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

**(क) और (ख) :** विद्युत समवर्ती सूची में है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के संयोजन से विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं और विद्युत उनके द्वारा राज्यों को आवंटित की जाती है। 28.02.2018 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 82,214 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को अपने स्वयं के उत्पादन केंद्रों की स्थापना करनी है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण करने, गाँवों का विद्युतीकरण करने तथा विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों की सहायता कर रही है।

**(ग) और (घ) :** विद्युत का वितरण एक अनुज्ञापित कार्यकलाप है। वितरण लाइसेंस संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा जारी किए जाते हैं। एसईआरसी ने उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए वितरण कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु निष्पादन के मानक (एसओपी) तथा आपूर्ति संहिता जारी की है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57 के अनुसार, उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित करने के लिए अधिकांश राज्यों में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और लोकपाल है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता शिकायतों की आवश्यकता एवं महत्व को महसूस करते हुए, भारत सरकार ने पुनर्गठित त्वरित विद्युत सुधार विकास कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत वितरण यूटिलिटीयों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई है, जिसे समर्पित उपभोक्ता सेवा केंद्रों की स्थापना करने के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत अब समाहित किया गया है तथा यह शॉर्ट कोड टेलीफोन नं. 1912 पर सुलभ है। अब तक राज्य के स्वामित्व वाली 47 यूटिलिटीयां तथा 10 निजी यूटिलिटीयां इस शॉर्ट कोड टेलीफोन संख्या पर सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-559

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

पावर ग्रिड कनेक्टिविटी

559. श्री के.एन. रामचन्द्रनः

श्री पी.आर. सेनथिलनाथनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण ग्रिड और अन्य क्षेत्रों के ग्रिडों के बीच पावर ग्रिड कनेक्टिविटी तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच विद्युत पारेषण की आवश्यकता को पूरा करने में अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच पावर ग्रिड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में ग्रीन कॉरिडोर ग्रिड स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"पावर ग्रिड कनेक्टिविटी" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 559 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : दक्षिणी ग्रिड और अन्य क्षेत्रों के विद्युत ग्रिडों के बीच कनेक्टिविटी तमिलनाडु और अन्य राज्यों के बीच विद्युत पारेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) : दक्षिणी क्षेत्र (एसआर) 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी स्तर पर तथा एचवीडीसी लिंक पर विभिन्न अंतर-क्षेत्रीय एसी लिंकों के माध्यम से उत्तर-पूर्व-पश्चिम क्षेत्र (एनईडब्ल्यूआर) के साथ जुड़ा हुआ है। नई पारेषण लाइनों के शुरू होने के साथ, मुख्य एनईडब्ल्यूआर-एसआर कॉरीडोर की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ग्रिड कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ किया गया है। एसआर और एनईडब्ल्यूआर के बीच अंतर-क्षेत्रीय लिंकों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सितंबर, 2017 से डे अहेड मार्केट (पावर एक्सचेंज) में कोई संकुलता सूचित नहीं की गई है।

(घ) : तमिलनाडु सहित आठ नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन संपन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय उत्पादन क्षमता के एकीकरण को सुकर बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर (जीईसी) की आयोजना की गई है। इसमें अंतःराज्यीय और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (आरईएमसी) की स्थापना करना शामिल है।

पावरग्रिड द्वारा अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली और आरईएमसी का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना में लगभग 3200 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइन और कुल 18,000 एमवीए के छः उप-केंद्रों को मई, 2019 तक पूरा किया जाना शामिल है। पारेषण प्रणाली का हिस्सा चालू हो गया है और शेष पारेषण स्कीम कार्यान्वयन के विभिन्न चरण में है। संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटियों (एसटीयू) द्वारा अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय द्वारा जीईसी के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

\*\*\*\*\*

"पावर ग्रिड कनेक्टिविटी" के बारे में लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 559 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लिंक और क्षमता (मेगावाट)		
क्रम सं.		वर्तमान क्षमता (मेगावाट)
1.	बालीमेला-अपर सिलेरू 220 केवी एस/सी	130
2.	गजुवाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक	1000
3.	तालचर-कोलार एचवीडीसी बायपोल	2500
4.	अंगुल-श्रीकाकुलम 765 केवी डी/सी	4200
5.	चंद्रपुर एचवीडीसी बैक-टू-बैक	1000
6.	कोल्हापुर-बेलगॉम 220 केवी डी/सी	260
7.	पोंडा-नागाझारी 220 केवी डी/सी	260
8.	रायचूर-सोलापुर 765 केवी एस/सी लाइन (पीजी)	2100
9.	रायचूर-सोलापुर 765 केवी एस/सी लाइन (निजी क्षेत्र)	2100
10.	नरेंद्र-कोल्हापुर 765 केवी डी/सी (400 केवी पर चार्ज)	2200
11.	वर्धा-निजामाबाद 765 केवी डी/सी लाइन	4200
	<b>कुल</b>	<b>19,950</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6226

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

जनता को 100 प्रतिशत बिजली

6226. श्री राकेश सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शत-प्रतिशत बिजली सुविधा प्रदान करने के संबंध में कोई कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को शामिल करने तथा उनके द्वारा उत्पादित विद्युत का वितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवारों और शहरी क्षेत्रों के समस्त निर्धन परिवारों को विद्युत कनेक्शन तथा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए सभी परिवारों का विद्युतीकरण करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 31 मार्च, 2019 तक देशभर में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत करना है।

(ग) और (घ) : वर्ष 2022 तक भारत में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता मौजूद है। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत का उत्पादन लाइसेंस-रहित कार्यकलाप है और देश में मांग और उत्पादन उपलब्धता का आंकलन करते हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा नई उत्पादन क्षमता को संस्थापित करने का निर्णय लिया जाता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6251

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं की समय और लागत में वृद्धि

6251. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्रों में कई विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत की वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और निर्माण हेतु क्षेत्र-वार कितनी धनराशि उपयोग की गई है;
- (ग) क्या सरकार को निजी क्षेत्र में लंबित परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए विद्युत उत्पादक संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है; और
- (ङ) सभी विद्युत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : निर्माणाधीन ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) के संबंध में समय और लागत आधिक्य के ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-I एवं अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) : "इंहेसिंग इज ऑफ डूइंग बिजिनेस"-शासी एकीकृत विद्युत परियोजनाओं के विधान की प्रस्तावित विस्तृत समीक्षा के संबंध में विद्युत उत्पादकों के संघ से दिनांक 25 जून, 2014 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, प्रचालन एवं रख-रखाव कर सकती है यदि वह कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों की अनुपालना करती है। तथापि, कोई भी उत्पादन कंपनी जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की इच्छुक है, उसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से सहमति लेनी आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने शीघ्रता से विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने के लिए स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अंतर्गत परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की स्थापना की गई है जो सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्रों दोनों में रूकी हुई निवेश परियोजनाओं को ट्रैक करने और फास्ट-ट्रैक आधार पर इन परियोजनाओं में कार्यान्वयन संबंधी गत्यावरोधों को दूर करने के लिए है।
- (ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी एक उच्चस्तरीय समूह का गठन किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत परियोजनाओं सहित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने से संबंधित मामलों की समीक्षा करती है।
- (iii) जनवरी, 2016 में प्रशुल्क नीति में संशोधन किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धी बोली परियोजनाओं में घरेलू ड्यूटियों, चुंगी, करों इत्यादि में किसी परिवर्तन के प्रभाव तथा प्रशुल्क निर्धारण करने में स्पष्टता लाने के लिए भी पास-थ्रू की अनुमति देते हुए बाजार की अनिश्चितता को हटाता है।
- (iv) भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए पारदर्शी तरीके से भावी कोयला लिंकेजों के आवंटन के लिए एक नई पॉलिसी अर्थात् स्कीम फॉर हार्नेसिंग एण्ड एलोकेशन कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया (शक्ति) शुरू की है।
- (v) पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी मामलों का समाधान करने के लिए विद्युत और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच नियमित विचार-विमर्श।
- (vi) अवरोध वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों के तेजी से समाधान करने को सुगम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा नियमित समीक्षाएं भी की जाती हैं।
- (vii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विकासकर्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ लगातार स्थल दौरों और विचार-विमर्श के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है।
- (viii) जब भी अपेक्षित होता है सक्रिय सुशासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए मुद्दे प्रगति में भी उठाए जाते हैं।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 6251 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के समय/लागत आधिक्य का ब्यौरा**

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	मूल लागत (रु. करोड़ में)	नवीनतम लागत (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य (माह)	देरी के कारण
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>											
1	असम	बोंगाईगांव टीपीपी/एनटीपीसी	यू-3	250	सितं-11	जून-18	4375.35	6749.18	54.25%	81	निरंतर बंद, भारी वर्षा और धीमा सिविल कार्य। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। स्थानीय बिक्रेताओं द्वारा कुल आपूर्तियों का इंटरमिटेट सस्पेंशन। वर्ष 2011-12 के दौरान हिंसा तथा स्थल से श्रमिकों के पलायन के कारण कार्य रुक गया। सिविल ठेकेदारों द्वारा खराब निष्पादन के कारण सिविल कार्य प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरूप उनका ठेका निरस्त कर दिया गया। शेष सिविल और संरचनात्मक कार्य 29.09.2014 को एनबीसीसी को दे दिए गए, कच्चे जल प्रणाली की तैयारी, पहचान एवं भेल द्वारा यूनिट-3 के लिए कैनिबलाइज्ड मैटेरियल की आपूर्ति।
2	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-1 /एनटीपीसी	यू-1	660	मई-17	अक्तू.-20	8693	15095.67	73.65%	41	पावर मशीन और टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, रूस के साथ एनटीपीसी के संविदात्मक विवाद के कारण विलंब। मूल अनुसूची 2009-10 एवं 2010-11 थी। वित्तीय दिक्कतों के कारण मैसर्स टीपीई द्वारा बायलर सामग्री एवं खरीदी जाने वाली मदों (बीओआई) की आपूर्ति में विलंब। मैसर्स टीपीई ने 10/13 को कार्य बंद कर दिया। एनटीपीसी द्वारा 14.01.2015 को मैसर्स टीपीई का करार समाप्त कर दिया। मैसर्स पावर मशीन द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब और मंद प्रगति, सुपर हीटर और रीहीट एरिया में ट्यूब की विफलता, रेलवे लाइन (हजारीबाग-कोडरमा-तिलैया-राजगीर-बख्तियारपुर (250 किमी)) की तैयारी।
			यू-2	660	नवं.-17	अप्रैल-21				41	
			यू-3	660	मई-18	नवं.-21				42	

3	बिहार	नबी नगर टीपीपी /एनटीपीसी और रेलवे का जेवी	यू-3	250	अग.-13	जून-18	5352.51	7998	49.43%	58	भूमि अधिग्रहण में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल एजेंसी मैसर्स ईआरए द्वारा धीमी गति से कार्य जिससे निर्माण एजेंसियों को सिविल फ्रंट सौंपने में विलंब हुआ। भेल द्वारा उपस्करों की आपूर्ति। गांववासियों द्वारा आन्दोलन। लोगों द्वारा मुआवजे को ग्रहण करने की अनिच्छा के कारण भूमि के कुछ टुकड़ों का अधिग्रहण नहीं किया जा सका। सीएचपी वेंडर (टैक्प्रो) द्वारा झेली जा रही वित्तीय कठिनाई।
			यू-4	250	नव.-13	अक्टू.-18				59	
4	बिहार	न्यू नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल का जेवी	यू-1	660	जन.-17	अग.-18	13624.02	15131.67	11.07%	19	शेष भूमि का अधिग्रहण तथा वासक्षेत्र स्वामियों का स्थान परिवर्तन, जो अभी भी परियोजना क्षेत्र में रह रहे हैं।
			यू-2	660	जुला.-17	अक्टू.-18				15	
			यू-3	660	जन.-18	दिसं.-18				12	
5	छत्तीसगढ़	लारा एसटीपीपी/ एनटीपीसी	यू-2	800	मई-17	जून-19	11846	11846	0.00%	25	विद्युत उपस्कर आपूर्ति के कारण देरी, भूमि अधिग्रहण में देरी, सहायक बॉयलरों की तैयारी में देरी।
6	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी/एनटी पीसी	यू-1	660	फर.-18	अक्टू.-19	14367	14367	0.00%	20	भूमि अधिग्रहण मुद्दों के कारण सिविल कार्यों को शुरू करने में देरी। बॉयलर फाउंडेशन से संबंधित भेल आपूर्तियों में देरी। मुख्य संयंत्र के क्षेत्र में बदलाव, प्लॉट की योजना में बदलाव के कारण एनटीपीसी द्वारा भेल को भूमि सौंपने में देरी। भेल द्वारा एसीसी पैकेज के अवाई में देरी।
			यू-2	660	अग.-18	अप्रैल-20				20	
			यू-3	660	फर.-19	अक्टू.-20				20	
7	महाराष्ट्र	सोलापुर/एनटीपी सी	यू-2	660	नव.-16	मार्च-19	9395.18	9395.18	0.00%	28	बीजीआर द्वारा एसजी आपूर्ति में विलंब। कच्चा पानी पाइपलाइन के लिए उपयोग के अधिकार (आरओयू) में विलंब। मैसर्स आईवीआरसीएल द्वारा सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब। बीजीआर और हिताची के बीच क्यूएसजीएम का निस्तारण न होने के कारण बीजीआर द्वारा स्टीम जेनरेटर इंजीनियरिंग एवं आपूर्ति में विलंब, प्रेशर पार्ट में भारी क्षति।
8	मध्य प्रदेश	गदरवारा एसटीपीपी/ एनटीपीसी	यू-1	800	मार्च-17	जुला.-18	11638.55	11638.55	0.00%	16	पहले से ही अधिग्रहित भूमि के लिए ग्रामवासियों द्वारा अतिरिक्त मुआवजे की मांग संबंधी आंदोलन के कारण कार्य रूका। रेलवे लाइन कॉरिडोर के लिए शेष भूमि अधिग्रहण में देरी, सिविल एजेंसी (बीएण्डआर) द्वारा धीमी प्रगति। एमयूडब्ल्यू पाइपलाइन बिछाने के लिए आरओयू।
			यू-2	800	सितं.-17	जून-19				21	
9	ओडिशा	दार्लीपल्लीएसटीपी पी/ एनटीपीसी	यू-1	800	फर.-18	दिसं.-18	12532.44	12532.44	0.00%	10	रेलवे साइडिंग के लिए शेष भूमि अधिग्रहण के कारण देरी, वाटर लाइन तैयार करने के लिए आरओयू मुद्दे।
			यू-2	800	जून-18	जून-19				12	

10	तेलंगाना	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I /एनटीपीसी	यू-1	800	जन.-20	अप्रैल-20	10599	10599	0.00%	3	नए पर्यावरणीय मानकों के संबंध में बाँयलर डिजाइन में परिवर्तन। भेल आपूर्ति में विलंब।
			यू-2	800	जुला.-20	अक्टू.-20				3	
11	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी/एनएलसी	यू-1	500	सितं.-17	जुला.-18	5907.11	5907.11	0.00%	10	मुख्य संयंत्र क्षेत्र की नींव (गहराई) की डिजाइन में परिवर्तन तथा सिविल कांस्ट्रक्टरों को अंतिम रूप दिए जाने में देरी। एचडीपीई पाइपों को लगाने का कार्य पूरा न होने के कारण मीठे जल की उपलब्धता में देरी। सीडब्ल्यू प्रणाली के आउटलेट चैनल एवं संरचना के आदेश देने में देरी। सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
			यू-2	500	मार्च-18	अग.-18				5	
12	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी/ एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	यू-2	660	दिसं.-16	जन.-19	10821	10821	0.00%	25	बीजीआर और हिताची के बीच क्यूएसजीएम का निस्तारण न होने के कारण मैसर्स बीजीआर द्वारा बाँयलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
13	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी स्टे.- II/ एनटीपीसी	यू-1	660	सितं.-18	मार्च-19	9188.98	9188.98	0.00%	6	मुख्य संयंत्र एवं एश डाइक एरिया में शेष भूमि अधिग्रहण। सिविल एजेंसी द्वारा खराब जुटाव, इंजीनियरिंग और आपूर्ति में देरी।
			यू-2	660	मार्च-19	सितं.-19				6	
<b>राज्य क्षेत्र</b>											
1	असम	नामरूप सीसीजीटी/एपीजी सीएल	एसटी	36.15	जन.-12	नवं.-18	411	693.73	68.79%	82	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब और सिविल कार्यों की मंद प्रगति, सिविल ठेकेदारों की सेवा समाप्ति। खराब मृदा तथा भारी वर्षा। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब और दक्ष जनशक्ति की कमी। एनबीपीएल आदेश की समाप्ति। सिविल तथा इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं इंस्ट्रुमेंटेशन एजेंसी के रि-अवार्ड में विलंब।
2	कर्नाटक	केपीसीएल द्वारा येलहांका सीसीपीपी	जीटी+एसटी	370	मार्च-18	मई-18	1571.18	1571.18	0.00%	2	भारी वर्षा के कारण विलंब।
3	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी/ओपीजीसी एल	यू-3	660	सितं.-17	अग.-18	11965	11965	0.00%	11	रेलवे साइडिंग और स्टार्ट अप पावर की उपलब्धता के लिए भूमि का अधिग्रहण।
			यू-4	660	जन.-18	अक्टू.-18				9	
4	राजस्थान	छाबरा टीपीपी एक्सटें./आरआरवी यूएनएल	यू-6	660	जून-18	अग.-18	7920	9550	20.58%	2	सिविल कार्यों में विलंब। भारी वर्षा के कारण कार्य की प्रगति में विलंब। वित्तीय दबाव के कारण मैसर्स लैनको इंफ्राटेक द्वारा बीओपी (क्लिंग टावर, एएचपी, सीएचपी आदि) की तैयारी में विलंब।

5	राजस्थान	सूरतगढ़ एससीटीपीपी/आर आरवीयूएनएल	यू-7	660	सितं.-16	जुला.-18	7920	7920	0.00%	22	बॉयलर इरेक्शन के कारण धीमी प्रगति।
			यू-8	660	दिसं.-16	जून-18				18	
6	तेलंगाना	कोथागुडेम टीपीएस स्टे.-VII/ टीएसजैको	यू-1	800	नवं.-17	जुला.-18	5548.44	5548.44	0.00%	8	बीओपी की तैयारी में विलंब।
7	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी/ टीएसजैको	यू-1	270	मार्च-17	जन.-19	5044	7290.6	44.54%	22	एनजीटी तथा एमओईएफ स्वीकृति न होने के कारण कार्य रुका।
			यू-2	270	मई-17	फर.-19				21	
			यू-3	270	जुला.-17	मार्च-19				20	
			यू-4	270	सितं.-17	अप्रैल-19				19	
8	तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैंको)/टैंजेडको	यू-1	660	जन.-18	सितं.-18	5421.38	5421.38	0.00%	8	लैनको इंसाॅलवेंसी प्रॉब्लम के कारण देरी।
9	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी/ टैंजेडको	यू-1	660	जन.-18	सितं.-18	9800	9800	0.00%	8	पावर ब्लॉक एरिया में अत्यधिक जमाव तथा सिविल कार्य की धीमी प्रगति के कारण देरी।
			यू-2	660	मार्च-18	मार्च-19				12	
10	तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III टैंजेडको	यू-1	800	मार्च-19	जुला.-19	6376	6376	0.00%	4	सिविल कार्य में धीमी प्रगति के कारण।
11	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.- II/यूपीआरवीयूएन एल	यू-1	660	जून-19	नवं.-19	4826.49	4826.49	0.00%	5	एमओईएफ और सीसी स्वीकृति की देरी से प्राप्ति।
12	उत्तर प्रदेश	जवाहरपुरएसटीपी पी/ यूपीआरवीयूएन एल	यू-1	660	सितं.-20	नवं.-20	10556.27	10556.27	0.00%	2	नई शुरू की गई।
			यू-2	660	जन.-21	मार्च-21				2	
<b>निजी क्षेत्र</b>											
1	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II/ मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.	यू-3	350	मई-12	जन.-18	3120 (600मेगावाट)/ 5005 (700मेगावाट)			68	सिविल कार्य की धीमी प्रगति। वित्तीय समस्या के कारण लंबे समय तक के लिए स्थल पर कार्य बंद पड़ा रहा।
			यू-4	350	अग.-12	जुला.-18				71	

2	छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)/केएसके महानदी पावर कंपनी लि.	यू-4	600	अप्रैल-13	जुला.-18	16190	27080	67.26%	63	वित्तीय कठिनाईयों के कारण विलंब।
			यू-5	600	अग.-13	सितं.-18				61	
			यू-6	600	दिसं.-13	दिसं.-18				60	
3	छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी/आरकेएम पावरजेन. प्रा. लि.	यू-4	360	जुला.-13	जुला.-18	6653.61	11784.51	77.11%	60	प्रचालित करने के लिए (सीटीओ) सहमति न होने के कारण देरी।
4	महाराष्ट्र	शीरपुर टीपीपी, शीरपुर पावर प्रा. लि.	यू-2	150	अप्रैल-15	जुला.-18	2413	2413	0.00%	39	स्टार्ट अप पावर, पीपीए न होना, कोयला लिकेज न होना, वित्तीय बाधाओं के कारण विलंब।
5	मध्य प्रदेश	महान टीपीपी/एस्सार पावर एमपी लि.	यू-2	600	दिसं.-11	अग.-18	7738	7738	0.00%	80	कोयला ब्लॉक/कोयला लिकेज न होने के कारण काफी धीमी प्रगति।
6	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV/एसईपीसी	यू-1	525	सितं.-18	मार्च-19	3514	3514	0.00%	6	बीओपी क्षेत्रों में धीमी प्रगति, इंटरकनेक्शन और पारेषण सुविधा अवार्ड किए जाने में देरी।
7	पश्चिम बंगाल	हीरनमये एनर्जी लि. (इंडिया पावर कारपोरेशन (हल्दिया: टीपीपी/हल्दियो एनर्जी लि.	यू-3	150	मई-16	अग.-18	2656	3307	24.51%	27	पश्चिम बंगाल में हल्दिया और आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण संबंधी क्रियाकलाप न होने के कारण एमओईएफ स्थगन।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 6251 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

समय आधिक्य/लागत आधिक्य वाली निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम (आई.सी.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का संशोधित समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रु. करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	नवीनतम/अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य (रु. करोड़ में)	समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
	<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>												
1	तपोवन विष्णुगाड (4x130 = 520 मेगावाट) एनटीपीसी	उत्तराखंड	1 2 3 4	130 130 130 130	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16	2019-20 2019-20 2019-20 2019-20	84	2978.48 (11/06)	3846.30 (01/14)	3846.30 (01/14)	867.82	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ एचआरटी में खराब भूविज्ञान और टीबीएम पर पत्थर गिरने के कारण अत्यधिक जल का प्रवेश।</li> <li>➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़ और अग.'12 में कॉफर डैम का क्षतिग्रस्त होना।</li> <li>➤ बैराज और एचआरटी के लिए सिविल संविदाओं की समाप्ति</li> </ul>
2	लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट) एनटीपीसी	उत्तराखंड	1 2 3	57 57 57	2017-18 2017-18 2017-18		2022-23 2022-23 2022-23	67	1527.00 (07/12)		संशोधनाधीन	उपलब्ध नहीं	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ जून, 2013 के दौरान अचानक बाढ़।</li> <li>➤ बैराज क्षेत्र में स्थानीय मामले/कार्य प्रारंभ न होना।</li> <li>➤ माननीय उच्चतम न्यायालय ने मई, 2014 से निर्माण कार्य जारी रखने पर रोक लगाई।</li> </ul>
3	रम्माम-III (3x40=120 मेगावाट) एनटीपीसी	पश्चिम बंगाल	1 2 3	40 40 40	2019-20 2019-20 2019-20		2020-21 2020-21 2020-21	18	1381.84 (10/14)		1381.84 (10/14)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ एडिट-1 से एडिट-2 तक संपर्क सड़क के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से पेड़ों को गिराने के लिए अनुमति प्राप्त होने में विलंब।</li> </ul>
4	पारे (2x55 = 110 मेगावाट) नीपको	अरुणाचल प्रदेश	1 2	55 55	2012-13 2012-13		2017-18 2017-18	67	573.99 (06/07)		1337.76 (01/16)	763.77	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कानून-व्यवस्था की समस्या।</li> <li>➤ कमजोर भूविज्ञान।</li> <li>➤ खराब पहुंच सड़क।</li> </ul>

क्रम सं.	परियोजना का नाम (आई.सी.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का संशोधित समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रु. करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य (रु. करोड़ में)	समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
													➤ वर्ष 2014, 2015, 2016 और 2017 के मानसून के दौरान तीव्र बाढ़। बांध क्षेत्र जलाप्लावित।
5	कार्मेग (4x150 = 600 मेगावाट) नीपको	केंद्रीय	1 2 3 4	150 150 150 150	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 (दिसं.'09)		2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 (मार्च,18)	99	2496.90 (03/04)		6179.96 (03/15)	3683.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ बांध पैरामीटरों में परिवर्तन।</li> <li>➤ खराब भूविज्ञान, अत्यधिक रिसाव, अपर्याप्त मशीनरी के कारण बांध एवं एचआरटी में धीमी प्रगति।</li> <li>➤ अक्टूबर, 2008 और सितंबर, 2012 में अचानक बाढ़।</li> <li>➤ एचआरटी में जल का प्रवेश।</li> <li>➤ खराब पहुंच सड़क।</li> <li>➤ संविदात्मक मामले।</li> <li>➤ मिलावे की कमी।</li> <li>➤ राज्य सरकार से खदान के लिए स्वीकृति।</li> <li>➤ कार्यों की धीमी प्रगति।</li> </ul>
6	टिहरी पीएसएस (4x250 = 1000 मेगावाट) टीएचडीसी	उत्तराखंड	1 2 3 4	250 250 250 250	2010-11 2010-11 2010-11 2010-11 (जुला.'10)	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 (फर.'16) आरसीई-1	2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 (दिसं.'20)	125	1657.60 (दिसं.-05)	2978.86 (अप्रैल'10)	3939.11	2281.51	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ एल-1 कीमत बोली के रूप में आरसीई का अनुमोदन लागत अनुमानों से अधिक था। आरसीई अक्टूबर, 2010 में अनुमोदित किया गया।</li> <li>➤ संविदाकार के पास नकद प्रवाह समस्या।</li> <li>➤ बोलीदाताओं द्वारा मुकदमेबाजी।</li> <li>➤ खराब भूविज्ञान।</li> <li>➤ असेना क्वारी में स्थानीय विरोध।</li> <li>➤ मक डिस्पोजल क्षेत्र में विरोध।</li> <li>➤ ठेकेदार की खराब तैयारी।</li> <li>➤ खराब भौगोलिक स्थिति के कारण मशीन हॉल के ले आउट का संशोधन।</li> </ul>
7	पारबती-II (4x200 = 800 मेगावाट) एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश	1 2 3 4	200 200 200 200	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 (सितं.'09)		2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (दिसं.,21)	147	3919.59 (12/01)		8398.75 (03/15)	4479.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने स्टोन क्रशर प्रचालन पर रोक लगाई।</li> <li>➤ संशोधित वन स्वीकृति में विलंब।</li> <li>➤ नवंबर, 2006 में टीबीएम फेस में पानी और गाद के भारी मात्रा में प्रवेश करने के कारण टीबीएम को</li> </ul>

क्रम सं.	परियोजना का नाम (आई.सी.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का संशोधित समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रु. करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य (रु. करोड़ में)	समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
													<ul style="list-style-type: none"> <li>अत्यधिक क्षति हुई।</li> <li>➤ अप्रैल, 04, जून, 06 और फरवरी, 07 में पावर हाउस क्षेत्र में स्लाइड।</li> <li>➤ 2004,2005,2010 और 2011में अचानक बाढ़।</li> <li>➤ केविटी ट्रीटमेंट के कारण जीवा नाला कार्य प्रभावित हुआ।</li> <li>➤ संविदा संबंधी मामले।</li> <li>➤ एचआरटी में खराब भूविज्ञान।</li> </ul>
8	सुबानसिरी लोअर (8x250 = 2000 मेगावाट) एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश/असम	1 2 3 4 5 6 7 8	250 250 250 250 250 250 250 250	2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11		2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23	150	6285.33 (12/02)		18559.49 (04/17)	12274.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वन भूमि के अंतरण में विलंब।</li> <li>➤ अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा।</li> <li>➤ जनवरी, 2008 में पावर हाउस में स्लोप विफलता।</li> <li>➤ रंगानदी नदी पर पुल क्षति।</li> <li>➤ सर्ज शॉफ्ट्स से सर्ज टनल्स के डिजाइन में परिवर्तन।</li> <li>➤ परियोजना के निर्माण के विरोध में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा घोषित आंदोलन के कारण कार्यबंदी। दिनांक 16.12.2011 से कार्य रूक गया।</li> <li>➤ डी/एस प्रभाव अध्ययनों का मामला।</li> <li>➤ एनजीटी में मामला।</li> </ul>
9	विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111 = 444 मेगावाट) टीएचडीसी	उत्तराखंड	1 2 3 4	111 111 111 111	2013-14 2013-14 2013-14 2013-14		2020-21 2020-21 2020-21 2020-21	89	2491.58 (03/08)		3789.61 (05/17)	1298.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सीसीईए अनुमोदन अगस्त, 2008 में प्राप्त परंतु वन स्विकृति/वन भूमि के परिवर्तन के कारण कार्य अवाई नहीं किया जा सका। वन भूमि जनवरी, 14 में अधिगृहीत की गई तथा बाद में जनवरी,2014 में कार्य अवाई किया गया।</li> <li>➤ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध।</li> <li>➤ संविदाकार के पास नकद प्रवाह समस्या।</li> </ul>
10	किशनगंगा (3x110 = 330 मेगावाट)	जम्मू व कश्मीर	1 2	110 110	2014-15 2014-15	2015-16 2015-16	2017-18 2017-18	44	2238.67 (11/05)	3642.04 (09/07)	5882.01 (01/17)	3643.34	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ एल-1 कीमत बोली के रूप में आरसीई का अनुमोदन लागत अनुमान से अधिक था। आरसीई जनवरी,</li> </ul>

क्रम सं.	परियोजना का नाम (आई.सी.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का संशोधित समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रु. करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य (रु. करोड़ में)	समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
	एनएचपीसी		3	110	2014-15 (जुला.'14)	2015-16 (जन.'16) आरसीई-1	2017-18 (मार्च-18)						<b>2009 में अनुमोदित।</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ मार्च, 2011 में भारी बारिश।</li> <li>➤ एचआरटी-टीबीएम भाग में केविटी।</li> <li>➤ एक्सेस टनल में खराब भूविज्ञान।</li> <li>➤ अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम न्यायालय में माध्यस्थतम संबंधी कार्यवाहियों के कारण बांध संबंधी कार्य प्रभावित।</li> <li>➤ स्थानीय लोग एनएचपीसी में रोजगार की मांग कर रहे हैं।</li> <li>➤ आरएण्डआर मुद्दे।</li> <li>➤ विद्युत निकासी व्यवस्था का पूरा होना (पीजीसीआईएल)।</li> <li>➤ कश्मीर घाटी में बाधा के कारण 09.07.2016 से विद्युत गृह क्षेत्र में कार्य रुकना। आंशिक रूप से कार्य जनवरी, 2017 में शुरू हुआ।</li> </ul>
	<b>राज्य क्षेत्र</b>												
11	परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाटजेकेएसपीडीसी	जम्मू व कश्मीर	1 2 3	12.5 12.5 12.5	2017-18 2017-18 2017-18 (जन.'18)		2019-20 2019-20 2019-20 (मार्च,20)	26	640.41 (परिसमापन लागत)		640.41 (परिसमापन लागत)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कार्य की धीमी प्रगति।</li> <li>➤ भूमि अधिग्रहण में विलंब।</li> </ul>
12	लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	जम्मू व कश्मीर	1 2	24 24	2017-18 2017-18 (सितं.'17)		2020-21 2020-21 (मार्च,21)	42	576.87 (12/12) (परिसमापन लागत)		576.87 (12/12) (परिसमापन लागत)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ठेकेदार द्वारा मानव एवं मशीनरी का अपर्याप्त जुटाव।</li> <li>➤ आरएण्डआर योजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब।</li> <li>➤ कार्यों की धीमी प्रगति।</li> <li>➤ संविदाकार के साथ वित्तीय कठिनाईयां। सीडीआर के अंतर्गत संविदाकार।</li> </ul>
13	उहल-III (3x33.33 = 100 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश	1 2	33.33 33.33	2006-07 2006-07		2017-18 2017-18	132	431.56 (09/02)		1281.52 (12/12)	849.96	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वन भूमि के अंतरण में विलंब।</li> <li>➤ निजी भूमि के अधिग्रहण में विलंब।</li> </ul>

क्रम सं.	परियोजना का नाम (आई.सी.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का संशोधित समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रु. करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य (रु. करोड़ में)	समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
	बीवीपीसीएल		3	33.33	2006-07 (मार्च'07)		2017-18 (मार्च,18)						<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ खदान स्थलों के अंतरण में विलंब।</li> <li>➤ कार्यों को अवाई करने में विलंब।</li> <li>➤ संविदाकर्ता द्वारा धीमी प्रगति और कार्य न करने के कारण मई, 2008 और जुलाई, 2010 के दौरान एचआरटी निर्माण के लिए दो बार संविदा रद्द की गई।</li> <li>➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति।</li> </ul>
14	स्वारा कुड्डू (3x37 =111मेगावाट) एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	37 37 37	2011-12 2011-12 2011-12 (जन.'12)		2019-20 2019-20 2019-20 (मई,19)	88	558.53 (03/03)		1181.90 (06/09)	623.37	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ एमओईएफ स्वीकृति में विलंब।</li> <li>➤ सिविल एवं इंफंडएम कार्यों को अवाई करने में विलंब।</li> <li>➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति।</li> <li>➤ एचआरटी लाइनिंग की धीमी प्रगति।</li> <li>➤ संविदा संबंधी मामले।</li> <li>➤ एचआरटी पैकेज के लिए कांट्रैक्ट 09.01.2014 को समाप्त कर दिया गया। मैसर्स एचसीसी को नवंबर, 2014 में कार्य पुनः अवाई किया गया।</li> </ul>
15	शॉगटम करछम (3x150 = 450 मेगावाट) एचपीपीसीएल 16.08.2012	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	150 150 150	2016-17 2016-17 2016-17 (मार्च'17)		2021-22 2021-22 2021-22 (जन.,22)	58	2807.83 (06/11)		2807.83 (06/11)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ आर्मी एम्यूनिशन डिपो का स्थानांतरण।</li> <li>➤ स्थानीय मामले।</li> </ul>
16	पुलीचिताला (4x30 = 120 मेगावाट) टीजेको	राज्य	1 2 3 4	30 30 30 30	2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 (जून'10)		2016-17 2017-18 2017-18 2018-19 (अग.,18)	चालू  98	380.00 (2006-07)		563.49 (03/15)	183.49	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ इंफंडएम कार्यों के अवाई में विलंब।</li> <li>➤ अक्टूबर, 2009 और सितंबर, 2011 में अपत्याशित बाढ़।</li> <li>➤ संविदा संबंधी मामले।</li> <li>➤ विद्युत गृह कार्यों की धीमी प्रगति।</li> <li>➤ जल की अनुपलब्धता के कारण चालू होने में विलंब।</li> </ul>
17	पल्लीवसल 2x30 = 60 मेगावाट केएसईबी	केरल	1 2	30 30	2010-11 2010-11 (मार्च'11)		2020-21 2020-21 (दिसं.,20)	117	222.00 (2004)		284.69 (2007)	62.69	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।</li> <li>➤ भूमि अधिग्रहण में विलंब।</li> <li>➤ एचआरटी के लिए अद्विद के संरेखण में परिवर्तन।</li> </ul>

क्रम सं.	परियोजना का नाम (आई.सी.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का संशोधित समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रु. करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य (रु. करोड़ में)	समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
													<ul style="list-style-type: none"> <li>एचआरटी में खराब भौगोलिक स्ट्राटा।</li> <li>भारी मानसून</li> <li>संविदागत मामलों के कारण संविदाकार द्वारा कार्य 28.1.15 से रोक दिया गया।</li> </ul>
18	थोटियार (1x30+1x10)= 40मेगावाट केएसईबी	केरल	1 2	30 10	2012-13 2012-13 (अप्रैल'12)		2020-21 } 2020-21 } (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन (3 वर्ष))	107	136.79 (2007)		150.02 (2007)	13.23	<ul style="list-style-type: none"> <li>भूमि अधिग्रहण मुद्दे।</li> <li>स्थानीय लोगों द्वारा 2010 से 2012 तक वायर और अप्रोच चैनल के कार्य रोक दिए गए।</li> <li>न्यायालय द्वारा 12.12.2012 से अप्रैल, 2013 तक कार्य रोक दिया गया।</li> <li>संविदागत मामले।</li> <li>संविदाकार के पास वित्तीय कठिनाई।</li> </ul>
19	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट, सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	पंजाब	1 2 3 4 5 6 7	33 33 33 33 33 33 8	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16		2020-21 } 2020-21 } 2020-21 } 2020-21 } 2020-21 } 2020-21 } 2020-21 } (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन (4 वर्ष))	60     60	1835.50 (04/08) (विद्युत घटक)		1835.50 (04/08) (विद्युत घटक)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>रावी और तारीफ नदी के जलों के बंटवारे पर जम्मू एवं कश्मीर तथा पंजाब राज्यों के बीच अंतरराज्यीय विवाद के कारण 29.08.2014 से बांध का कार्य रुक गया।</li> </ul>
20	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट डब्ल्यूआरडी, महा.	महाराष्ट्र	1 2	40 40	2014-15 2014-15 (अक्टू.'14)		2019-20 } (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन(4 वर्ष))	65	245.02 (1999)		1494.94 (2014)	1249.92	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यों की धीमी प्रगति।</li> <li>परियोजना लागत में वृद्धि के कारण वित्तीय कठिनाईयां। आरसीई अनुमोदनाधीन।</li> </ul>
21	व्यासी	उत्तराखंड	1	60	2014-15		2019-20 }	63	936.23		936.23	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यों को अवाई करने में विलंब।</li> </ul>



क्रम सं.	परियोजना का नाम (आई.सी.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का संशोधित समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रु. करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य (रु. करोड़ में)	समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
													➤ विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां।
25	सिंगोली भटवारी (3x33 = 99 मेगावाट) एलएंडटी	उत्तराखंड	1 2 3	33 33 33	2012-13 2012-13 2012-13 (दिसं.'12)		2018-19 2018-19 2018-19 (मार्च, 19)	} 75	666.47 (2008)		1577	910.53	➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध। ➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़।
26	फाटा ब्यूंग (2x38 = 76 मेगावाट), लैंको	उत्तराखंड	1 2	38 38	2012-13 2012-13 (जून'12)		2019-20 2019-20 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन(3 वर्ष))	} 93	520.00 (2013-14)		1225.53	705.53	➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़। ➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति।
27	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	मध्य प्रदेश	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 (मार्च'02)		2019-20 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन(1-½ वर्ष))	} 216	1569.27 (96-97)		8121.00 (2016-17)	6551.73	➤ आरएंडआर मुद्दे। ➤ विकासकर्ता के साथ नकदी प्रवाह की समस्या।
28	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) लैंको एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1 2 3 4	125 125 125 125	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13 (जुला.'12)		2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन(3	} 116	3283.08 (2008)		7542.00 (12/16)	4258.92	➤ खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ भूमि अधिग्रहण। ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ विकासकर्ता के साथ निधि संबंधी बाधाएं।

क्रम सं.	परियोजना का नाम (आई.सी.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का संशोधित समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रु. करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य (रु. करोड़ में)	समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
							वर्ष))						
29	रंगित-IV एचई परियोजना (3X40 = 120 मेगावाट) जेपीसीएल	सिक्किम	1 2 3	40 40 40	2011-12 2011-12 2011-12 (जन.'12)		2020-21 2020-21 2020-21 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन (3-½ वर्ष))	110	726.17 (2011-12)		1692.60 (06/16)	966.43	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ खराब भौगोलिक स्थिति के कारण एचआरटी और सर्ज शॉफ्ट कार्यों की धीमी प्रगति।</li> <li>➤ सितंबर, 2011 में भूकंप के कारण कार्य बाधित हुए।</li> <li>➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।</li> </ul>
30	भास्मे (2x25.5 =51 मेगावाट) गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	सिक्किम	1 2	25.5 25.5	2012-13 2012-13 (जून'12)		2020-21 2020-21 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन (3 वर्ष))	105	408.50 (2012-13)		690.30	281.80	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वन स्वीकृति।</li> <li>➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।</li> </ul>
31	रोंगनीचू (2x48 =96 मेगावाट) मध्य भारत प्रा. लि.	सिक्किम	1 2	48 48	2014-15 2014-15 (जुला.'14)		2019-20 2019-20 (मार्च,20)	68	491.32		1187	695.68	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ भूमि अधिग्रहण।</li> <li>➤ खराब भूविज्ञान।</li> </ul>
32	रत्ले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट रत्ले एचईपी प्रा. लि.	जेरंडके	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18		2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन (5 वर्ष))	60	5517.02 (03/12)		6257.00 (09/2013)	739.98	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कार्यों की धीमी प्रगति।</li> <li>➤ बार-बार स्थानीय बाधाओं के कारण 11.07.2014 से कार्य रुका।</li> <li>➤ विकासकर्ता राज्य सरकार को परियोजना अभ्यर्पित करना चाहते हैं। जीवीकेआरएचईपीपीएल तथा जेकेपीडीडी पक्षकारों ने अपने संबंधित दावों पर विरोध दर्ज किया तथा अब यह मामला न्यायाधीन है।</li> </ul>
33	गोंगरी 2x72= 144 मेगावाट दिरांग एनर्जी (पी) लि.	अरुणाचल प्रदेश	1 2	72 72	2016-17 2016-17 (अक्तू.'16)		2021-22 2021-22 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यक्षीन (3-	65	1436.27 (05/12)		1436.27 (05/12)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कार्य 22.11.2011 को अवाई किया गया। तथापि, 19.05.2014 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना संबंधी सहमति जारी की गई।</li> <li>➤ विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां।</li> </ul>

क्रम सं.	परियोजना का नाम (आई.सी.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का संशोधित समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (रु. करोड़ में)	संशोधित लागत (रुपए करोड़ में)	नवीनतम/ अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य (रु. करोड़ में)	समय और लागत आधिक्य के लिए कारण
							½ वर्ष)						
34	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट मैसर्स जीएमआर बजोली होली	हिमाचल प्रदेश	1 2 3	60 60 60	2018-19 2018-19 2018-19 (मई'18)		2019-20 2019-20 2019-20 (अग.,19)	15	1696.93		2481.00	784.07	➤ कार्यों की धीमी प्रगति।
35	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट सिक्किमहाइड्रो पावर लि.	सिक्किम	1 2	33 33	2015-16 2015-16 (अप्रैल'15)		2019-20 2019-20 (मार्च'20)	59	496.44		496.44	शून्य	➤ कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां।
36	पनन 4x75= 300 मेगावाट हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1 2 3 4	75 75 75 75	2018-19 2018-19 2018-19 2018-19		2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन (4-½ वर्ष)	48	1833.05 (2009)		2491.00 (2016)	657.95	➤ दिसंबर, 2015 में एनडब्ल्यूएलबी से स्वीकृति प्राप्त हुई। ➤ एनजीटी से स्वीकृति।
37	टिडोंग-I 2x50 =100 मेगावाट एनएसएल टिडोंग	हिमाचल प्रदेश	1 2	50 50	2013-14 2013-14 (दिसं.'13)		2018-19 2018-19 (कार्यों के पुनः शुरू होने के अध्यधीन (1-½ वर्ष)	63	543.15 (01/07)		1286.27 (01/17)	743.12	➤ परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा एनओसी में विलंब। ➤ सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों को स्थगित करना। ➤ विकासकर्ता के पास वित्तीय कठिनाईयां।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6253

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

खराब पड़े ट्रांसफार्मर

6253. श्री विजय कुमार हांसदाकः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक महीनों से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है क्योंकि पूरे झारखंड, विशेष रूप से साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण में उपयोग किए जा रहे ट्रांसफार्मर कई महीनों के लिए खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता के संबंध में कोई समीक्षा की है ताकि उपर्युक्त समस्याओं का समाधान किया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका जिले के गाँवों में 10 केवीए एवं 16 केवीए ट्रांसफार्मर संस्थापित किए गए थे जो ओवरलोडिंग के कारण कई स्थानों पर विफल हो गए। इनमें से अधिकांश ट्रांसफार्मरों को आवश्यक अवसंरचना सृजन के द्वारा 3 फेज 25 केवीए ट्रांसफार्मरों द्वारा पहले ही बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्यमान ट्रांसफार्मरों को जलने से बचाने के लिए 25 केवीए के और ट्रांसफार्मर संस्थापित/बदलने का लक्ष्य है। प्रचलित परिपाटी के अनुसार, सभी ट्रांसफार्मरों को संस्थापित करने से पहले परीक्षण किया जाता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6255

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

सभी को विद्युत

6255. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;
- (ग) सभी लोगों को चौबीस घंटे सस्ती कीमतों पर विद्युत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली देने हेतु विद्युत से नहीं जोड़ा गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है तथा विद्युत का वितरण और संबद्ध कार्यों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने सभी आवासों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज को तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। 01.04.2019 से सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने "सभी के लिए 24X7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) आदि सहित अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करते हुए शत-प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरूआत की है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6259

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

असम में दूरदराज के गांवों का विद्युतीकरण

6259. श्री सिराजुद्दीन अज़मल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित ऑफ गिड/गैर विद्युतीकृत आबादी वाले गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा असम राज्य को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से असम के दूरदराज के क्षेत्रों के गांवों में विद्युत पहुंचाने के लिए सरकार के वर्तमान लक्ष्य और योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के 214 गाँव सोलर पीवी स्टैण्डअलॉन प्रणाली एवं सोलर पीवी माइक्रो गिड प्रणाली से विद्युतीकृत किए गए हैं।

(ख) : ऑफ गिड सॉल्यूशन के माध्यम से असम के दूर-दराज के गाँवों के विद्युतीकरण के लिए विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (27/03/2018 तक) के दौरान असम सरकार को 119.13 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

(ग) : असम राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01.04.2015 को राज्य में 2,892 गैर-विद्युतीकृत गाँव थे, जिनमें से 160 गैर-आबादी वाले/आरक्षित चारागाह को छोड़कर अब विद्युतीकृत कर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6263

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

दूरदराज के गांवों का विद्युतीकरण

6263. श्री गोपाल शेटी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को पिछड़े गांवों और वन क्षेत्रों सहित दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गांवों के गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के जरिए विद्युतीकरण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) राज्य-वार उक्त कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है और कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं;
- (घ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी; और
- (ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : देश में, पिछड़े एवं वन क्षेत्रों सहित ऑन ग्रिड एवं ऑफ ग्रिड मोड के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए सभी गैर-विद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य किया गया है। अनुमोदन के लिए कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (27.03.2018 तक) के दौरान राज्यवार स्वीकृत चल रही ऑफ-ग्रिड परियोजनाएं तथा जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-1 एवं II में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 6263 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड परियोजनाओं के लिए राज्य-वार संस्वीकृत परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	गांव	संस्वीकृत लागत (रुपए लाख में)
<b>2014-15 में संस्वीकृत परियोजनाएं</b>				
<b>शून्य</b>				
<b>2015-16 में संस्वीकृत परियोजनाएं</b>				
1	आंध्र प्रदेश	229	0	1934.60
2	असम	521	521	29480.84
3	अरुणाचल प्रदेश	1000	1000	11748.45
4	छत्तीसगढ़	523	161	17794.96
5	झारखंड	305	316	14719.00
6	कर्नाटक	2	3	61.50
7	मध्य प्रदेश	122	122	6092.55
8	मेघालय	77	77	823.00
9	ओडिशा	190	190	5676.00
	<b>कुल</b>	<b>2969</b>	<b>2390</b>	<b>88330.90</b>
<b>2016-17 में संस्वीकृत परियोजनाएं</b>				
1	अरुणाचल प्रदेश	176	176	4183.20
2	छत्तीसगढ़	327	327	9126.00
3	झारखंड	77	77	4898.00
5	मेघालय	132	132	3232.00
6	उत्तराखंड	13	13	330.50
7	ओडिशा	79	79	3829.00
	<b>कुल</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>25598.70</b>
<b>2017-18 में संस्वीकृत परियोजनाएं (27.03.2018 तक)</b>				
1	मणिपुर	94	94	1705.09
	<b>कुल</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>1705.09</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>3867</b>	<b>3288</b>	<b>115634.69</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 6263 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड परियोजनाओं के लिए राज्य-वार जारी की गई निधि		
क्रम सं.	राज्य का नाम	अनुदान (रुपए लाख में)
<b>वित्तीय वर्ष 2014-15</b>		
1	आंध्र प्रदेश	139.17
2	छत्तीसगढ़	1312.60
3	मध्य प्रदेश	664.06
4	उत्तराखंड	148.34
	<b>उप-जोड़</b>	<b>2264.17</b>
<b>वित्तीय वर्ष 2015-16</b>		
1	आंध्र प्रदेश	1,092.49
2	छत्तीसगढ़	3,203.09
3	कर्नाटक	529.74
4	उत्तर प्रदेश	1,131.87
5	मध्य प्रदेश	393.23
	<b>उप-जोड़</b>	<b>6,350.43</b>
<b>वित्तीय वर्ष 2016-17</b>		
1	छत्तीसगढ़	5098.04
2	असम	8169.66
3	राजस्थान*	2468.35
4	केरल	124.39
5	आंध्र प्रदेश	208.59
	<b>उप-जोड़</b>	<b>16069.03</b>
<b>वित्तीय वर्ष 2017-18 (27.03.2018 तक)</b>		
1	अरुणाचल प्रदेश	2,413.84
2	असम	3,742.97
3	मध्य प्रदेश	184.41
4	ओडिशा	4,615.60
5	मेघालय	713.53
6	तेलंगाना	198.04
7	आंध्र प्रदेश	704.09
8	छत्तीसगढ़	4,147.73
9	झारखंड	5,207.20
10	राजस्थान*	1,974.68
11	मणिपुर	1,087.00
12	कर्नाटक	539.70
	<b>उप-जोड़</b>	<b>25,528.78</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>50,212.41</b>

टिप्पणी: 2016-17 के दौरान राजस्थान राज्य के लिए निर्मुक्त निधियां एमएनआरई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए हैं। इन परियोजनाओं के लिए निगरानी समिति ने परियोजना लागत के 45 प्रतिशत की दर पर डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता के रूप में निधियां जारी करने का अनुमोदन दिया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6274

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है।

विद्युतचालित वाहनों हेतु विशेष श्रेणी प्रशुल्क

6274. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युतचालित वाहनों (ईवी) के माध्यम से मास ट्रांजिट को सुविधा प्रदान करने के लिए उक्त वाहनों हेतु विशेष श्रेणी प्रशुल्क पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या ऊर्जा कुशलता सेवाएं सरकारी संगठनों द्वारा 10,000 विद्युतचालित वाहनों के उपयोग हेतु एक वैश्विक निविदा जारी कर रही है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत चालित वाहनों (ईवी) के प्रयोग के माध्यम से मास ट्रांजिट को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ईवी बैटरी चार्जिंग स्टेशनों में प्रयोग किए जाने हेतु विद्युत के लिए प्रशुल्क ढांचे सहित सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है। कोई उपभोक्ता विशेष श्रेणी प्रशुल्क के अंतर्गत आता है, का निर्णय समुचित आयोग द्वारा लिया जाता है और इसलिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने ईवी के लिए किसी विशेष श्रेणी प्रशुल्क का सुझाव नहीं दिया है।

(ख) और (ग) : जी हां। एनर्जी एफिसिएंशो सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने दिनांक 18 अगस्त, 2017 को 10,000 विद्युत चालित कारों के प्रापण के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की है। प्रापण प्रक्रिया पूरी हो गई है और मैसर्स टाटा मोटर्स (5050 ईवी) तथा मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (4950 ईवी) को अवाई पत्र (एलओए) जारी कर दिए गए हैं। ये कारें पट्टे/एकमुश्त खरीद आधार पर सरकारी निकायों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, और 10,000 विद्युत चालित वाहनों की खरीद करने के लिए 12 मार्च, 2018 को एक निविदा जारी की गई है क्योंकि आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने अपनी मांग भेज दी है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6290

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

6290. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) और कुछ अन्य सरकारी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को देश के कुछ राज्यों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के अंतर्गत कई परियोजनाओं को अनुमोदन नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, जम्मू एवं कश्मीर ने पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को कुछ नई परियोजनाएं निष्पादन हेतु सुपुर्द की है। ओडिशा में डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं का कार्यान्वयन एनटीपीसी कर रही है।

(ग) से (ङ) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त सभी प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को संस्वीकृत कर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-6314  
जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

जल विद्युत संयंत्र

6314. प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एनएचपीसी के और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में एनएचपीसी द्वारा वर्तमान में चलाए जा रहे विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उनमें उत्पादित की जा रही विद्युत की राज्य-वार मात्रा कितनी है; और

(घ) देश में हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत के उत्पादन और वितरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में एनएचपीसी की दो जल विद्युत परियोजनाएं अर्थात् पारबती-II (800 मेगावाट) तथा सुबानसिरी लोअर (2000 मेगावाट), जिनकी संस्थापित क्षमता 2800 मेगावाट है, निर्माणाधीन हैं।

(ग) : 2017-18 (28.02.2018 तक) के दौरान उत्पादित विद्युत की मात्रा सहित देश में एनएचपीसी द्वारा चलाए जा रहे विद्युत संयंत्रों (20) के ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(घ) : देश में जल विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

देश में केंद्रीय/संयुक्त/साझे क्षेत्र जल विद्युत संयंत्रों से जल विद्युत के वितरण/आबंटन का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 6314 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

28.02.2018 की स्थिति के अनुसार

एनएचपीसी के विद्युत स्टेशनों का राज्य-वार उत्पादन

क्रम सं.	राज्य	संस्थापित क्षमता	उत्पादन 2017-18
		(28.02.2018 की स्थिति के अनुसार)	(28.02.2018 की स्थिति के अनुसार)*
		(मेगावाट)	(एमयू)
	<b>हिमाचल प्रदेश</b>		
1	बैरा सिउल	180.00	612.42
2	चमेरा-I	540.00	2274.11
3	चमेरा-II	300.00	1442.04
4	चमेरा-III	231.00	1040.15
5	पारबती-III	520.00	699.33
	<b>उप-जोड़ एचपी</b>	<b>1771.00</b>	<b>6068.05</b>
	<b>जम्मू व कश्मीर</b>		
6	चूटक	44.00	42.02
7	दुलहस्ती	390.00	2264.37
8	निम्मो बाजगो	45.00	88.38
9	सलाल-I	345.00	3144.37
10	सलाल-II	345.00	
11	सेवा-II	120.00	470.11
12	उरी	480.00	2173.41
13	उरी-II	240.00	1105.90
	<b>उप-जोड़ जेएंडके</b>	<b>2009.00</b>	<b>9288.56</b>
	<b>उत्तराखंड</b>		
14	धौलीगंगा	280.00	1126.38
15	टनकपुर	94.20	444.57
	<b>उप-जोड़ उत्तराखंड</b>	<b>374.20</b>	<b>1570.95</b>
	<b>सिक्किम</b>		
16	रंगित	60.00	333.2
17	तीस्ता-V	510.00	2715.43
	<b>उप-जोड़ सिक्किम</b>	<b>570.00</b>	<b>3048.63</b>
	<b>पश्चिम बंगाल</b>		
18	तीस्ता लो डैम-III	132.00	371.15
19	तीस्ता लो डैम-IV	160.00	475.31
	<b>उप-जोड़ पश्चिम बंगाल</b>	<b>292.00</b>	<b>846.46</b>
	<b>मणिपुर</b>		
20	लोकटक	105.00	794.69
	<b>उप-जोड़ मणिपुर</b>	<b>105.00</b>	<b>794.69</b>
	<b>सकल योग एनएचपीसी लि.</b>	<b>5121.20</b>	<b>21617.34</b>

\*अनंतिम

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 6314 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

28.02.2018 की स्थिति के अनुसार

देश में एचई स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/स्टेशन	यूटिलिटी	संस्थापित क्षमता	उत्पादन 2017-18
			(28.02.2018 की स्थिति के अनुसार) (मेगावाट)	(28.02.2018 की स्थिति के अनुसार)* (एमयू)
	<b>हिमाचल</b>			
1	भाखड़ा एलएंडआर	बीबीएमबी	1325.00	4752.64
2	देहार	बीबीएमबी	990.00	2994.44
3	पोंग	बीबीएमबी	396.00	1500.49
4	कशांग-I	एचपीपीसीएल	65.00	193.67
5	कशांग-II व III	एचपीपीसीएल	130.00	
6	सैंज	एचपीपीसीएल	100.00	126.94
7	बस्सी	एचपीएसईबीएल	66.00	309.17
8	गिरी बाटा	एचपीएसईबीएल	60.00	165.56
9	लारजी	एचपीएसईबीएल	126.00	594.60
10	संजय	एचपीएसईबीएल	120.00	475.34
11	अलियन दुहांगन (निजी)	एडीएचपीएल	192.00	672.08
12	मलाना-II (निजी)	ईपीपीएल	100.00	362.97
13	बासपा-II	एचबीपीसीएल	300.00	1308.82
14	करछम वांगटू	एचबीपीसीएल	1000.00	4460.30
15	बुधहिल (निजी)	जीबीएचपीपीएल	70.00	312.95
16	चंजू-I	आईईपीएल	36.00	78.46
17	मलाना	एमपीसीएल	86.00	340.25
18	बैरा सियुल	एनएचपीसी	180.00	612.45
19	चमेरा-I	एनएचपीसी	540.00	2274.15
20	चमेरा-II	एनएचपीसी	300.00	1442.10
21	चमेरा-III	एनएचपीसी	231.00	1040.19
22	पारबती-III	एनएचपीसी	520.00	699.33
23	नाथपा झाकड़ी	एसजेवीएनएल	1500.00	7008.81
24	रामपुर	एसजेवीएनएल	412.02	1959.75
25	कोलडैम	एनटीपीसी	800.00	3237.82
26	शानन	पीएसपीसीएल	110.00	498.17
	<b>कुल एचपी</b>		<b>9755.02</b>	<b>37421.45</b>
	<b>जम्मू व कश्मीर</b>			
27	बगलीहार	जेकेएसपीडीसीएल	450.00	2515.06
28	बगलीहार	जेकेएसपीडीसीएल	450.00	1703.37
29	लोअर झेलम	जेकेएसपीडीसीएल	105.00	440.06
30	अपर सिंध-II	जेकेएसपीडीसीएल	105.00	322.44
31	चूटक	एनएचपीसी	44.00	42.06
32	दुलहस्ती	एनएचपीसी	390.00	2264.43
33	निम्मो बाजगो	एनएचपीसी	45.00	88.41
34	सलाल-I	एनएचपीसी	345.00	3144.38
35	सलाल-II	एनएचपीसी	345.00	
36	सेवा-II	एनएचपीसी	120.00	470.13
37	उरी	एनएचपीसी	480.00	2173.47
38	उरी-II	एनएचपीसी	240.00	1105.95
	<b>कुल जेएंडके</b>		<b>3119.00</b>	<b>14269.76</b>

	<b>पंजाब</b>			
39	गंगुवाल	बीबीएमबी	77.65	439.32
40	कोटला	बीबीएमबी	77.65	452.33
41	ए.पी. साहिब-1 व II	पीएसपीसीएल	134.00	593.86
42	मुकेरियां I-IV	पीएसपीसीएल	207.00	1143.35
43	रंजित सागर	पीएसपीसीएल	600.00	1763.76
	<b>कुल पंजाब</b>		<b>1096.30</b>	<b>4392.62</b>
	<b>राजस्थान</b>			
44	जवाहर सागर	आरआरवीयूएनएल	99.00	234.45
45	माही बजाज-1 व II	आरआरवीयूएनएल	140.00	157.39
46	आर.पी. सागर	आरआरवीयूएनएल	172.00	338.12
	<b>कुल राजस्थान</b>		<b>411.00</b>	<b>729.96</b>
	<b>उत्तर प्रदेश</b>			
47	खारा	यूपीजेवीएनएल	72.00	249.00
48	माताटीला	यूपीजेवीएनएल	30.60	88.51
49	ओबरा	यूपीजेवीएनएल	99.00	277.57
50	रिहंद	यूपीजेवीएनएल	300.00	777.38
	<b>कुल यूपीजेवीएनएल</b>		<b>501.60</b>	<b>1392.46</b>
	<b>उत्तराखंड</b>			
51	चिब्रो (वाई.स्टे.-II)	यूजेवीएनएल	240.00	758.68
52	चिल्ला	यूजेवीएनएल	144.00	760.50
53	धकरनी (वाई.स्टे.-I)	यूजेवीएनएल	33.75	125.36
54	धालीपुर ((वाई.स्टे.-I)	यूजेवीएनएल	51.00	180.46
55	खटीमा	यूजेवीएनएल	41.40	201.99
56	खोदरी (वाई.स्टे.-II)	यूजेवीएनएल	120.00	344.10
57	कुलहल (वाई.स्टे.-IV)	यूजेवीएनएल	30.00	118.67
58	मनेरी भाली-I	यूजेवीएनएल	90.00	376.50
59	मनेरी भाली-II	यूजेवीएनएल	304.00	1234.90
60	राम गंगा	यूजेवीएनएल	198.00	224.74
61	श्रीनगर	एचपीसी	330.00	1350.83
62	विष्णु प्रयाग	जेपीवीएल	400.00	2112.32
63	धौलीगंगा	एनएचपीसी	280.00	1126.46
64	टनकपुर	एनएचपीसी	94.20	444.55
65	टिहरी	टीएचडीसीएल	1000.00	2868.62
66	कोटेश्वर	टीएचडीसीएल	400.00	1129.30
	<b>कुल उत्तराखंड</b>		<b>3756.35</b>	<b>13357.98</b>
	<b>कुल उत्तरी क्षेत्र</b>		<b>18639.27</b>	<b>71564.23</b>
	<b>पश्चिम क्षेत्र</b>			
	<b>छत्तीसगढ़</b>			
67	हसदियो बांगो	सीएसपीजीसी	120.00	175.50
	<b>कुल छत्तीसगढ़</b>		<b>120.00</b>	<b>175.50</b>
	<b>गुजरात</b>			
68	कदाना पीएसएस	जीएसईसीएल	240.00	300.55
69	उकई	जीएसईसीएल	300.00	284.04
70	सरदार सरोवर सीएचपीएच	एसएसएनएनएल	250.00	563.74
71	सरदार सरोवर आरबीपीएच	एसएसएनएनएल	1200.00	376.61
	<b>कुल गुजरात</b>		<b>1990.00</b>	<b>1524.94</b>
	<b>मध्य प्रदेश</b>			
72	बनसागर टोन्स-I	एमपीपीजीसीएल	315.00	516.76
73	बनसागर टोन्स-II	एमपीपीजीसीएल	30.00	52.77
74	बनसागर टोन्स-III	एमपीपीजीसीएल	60.00	68.80
75	बारगी	एमपीपीजीसीएल	90.00	151.41
76	गांधी सागर	एमपीपीजीसीएल	115.00	287.62

77	मधीखेरा	एमपीपीजीसीएल	60.00	22.49
78	राजघाट	एमपीपीजीसीएल	45.00	55.62
79	इंदिरा सागर	एनएचडीसी	1000.00	849.73
80	ओंकारेश्वर	एनएचडीसी	520.00	428.99
	<b>कुल मध्य प्रदेश</b>		<b>2235.00</b>	<b>2434.19</b>
	<b>महाराष्ट्र</b>			
81	भीरा टेल रेस	महाजेंको	80.00	90.81
82	घाटघर पीएसएस	महाजेंको	250.00	143.40
83	कोयना डीपीएच	महाजेंको	36.00	123.75
84	कोयना स्टे.-I व II	महाजेंको	600.00	953.35
85	कोयना स्टे.-III	महाजेंको	320.00	439.79
86	कोयना-IV	महाजेंको	1000.00	783.70
87	तिल्लारी	महाजेंको	60.00	49.55
88	वैतर्णा	महाजेंको	60.00	167.97
89	भंडारधारा-II	डीएलएचपी	34.00	36.49
90	भीरा	टीपीसीएल	150.00	830.58
91	भीरा पीएसएस	टीपीसीएल	150.00	
92	भिवपुरी	टीपीसीएल	75.00	268.84
93	खोपोली	टीपीसीएल	72.00	293.52
94	पेंच	एमपीपीजीसीएल	160.00	154.76
	<b>कुल महाराष्ट्र</b>		<b>3047.00</b>	<b>4336.51</b>
	<b>कुल पश्चिमी</b>		<b>7392.00</b>	<b>8471.14</b>
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>				
<b>आंध्र प्रदेश</b>				
95	लोअर सिलेरू	एपजेंको	460.00	977.03
96	एन.जे. सागर आरबीसी	एपजेंको	90.00	59.77
97	एन.जे. सागर टीपीडी	एपजेंको	50.00	36.92
98	श्रीशैलम आरबी	एपजेंको	770.00	477.92
99	अपर सिलेरू-I व II	एपजेंको	240.00	445.32
	<b>कुल आंध्र प्रदेश</b>		<b>1610.00</b>	<b>1996.96</b>
	<b>तेलंगाना</b>			
100	लोअर जुराला	टीएसजेंको	240.00	205.80
101	एन.जे. सागर पीएसएस	टीएसजेंको	815.60	149.10
102	एन.जे. सागर एलबीसी	टीएसजेंको	60.00	12.83
103	पोचमपड	टीएसजेंको	36.00	31.37
104	श्रीशैलम एलबी	टीएसजेंको	900.00	772.09
105	प्रियदशिनी	टीएसजेंको	234.00	217.40
106	पुलीचिंताला	टीएसजेंको	90.00	6.60
	<b>कुल तेलंगाना</b>		<b>2375.60</b>	<b>1395.19</b>
	<b>कर्नाटक</b>			
107	टी. बी. डैम व हम्पी	एपजेंको	72.00	131.11
108	अमत्ती डैम	केपीसीएल	290.00	425.77
109	भद्रा	केपीसीएल	39.20	11.85
110	गेरूसोप्पा	केपीसीएल	240.00	246.53
111	घाटप्रभा	केपीसीएल	32.00	44.05
112	जोग	केपीसीएल	139.20	177.36
113	कद्रा	केपीसीएल	150.00	180.90
114	काली नदी	केपीसीएल	855.00	1317.79
115	सूपा डीपीएच	केपीसीएल	100.00	243.43
116	कोडासली	केपीसीएल	120.00	152.88
117	लिंगनामक्की	केपीसीएल	55.00	108.30
118	मुनीराबाद	केपीसीएल	28.00	51.00
119	श्रीवथी	केपीसीएल	1035.00	2355.42

120	शिवसमुद्रम	केपीसीएल	42.00	172.07
121	वराही	केपीसीएल	460.00	694.68
	<b>कुल कर्नाटक</b>		<b>3657.40</b>	<b>6313.14</b>
	<b>केरल</b>			
122	इदमलायर	केएसईबीएल	75.00	213.95
123	इदुक्की	केएसईबीएल	780.00	1361.01
124	कक्कड	केएसईबीएल	50.00	137.66
125	कुट्टियाडी	केएसईबीएल	125.00	554.18
126	कुट्टियाडी एडि. एक्सटें.	केएसईबीएल	100.00	
127	लोअर पेरियार	केएसईबीएल	180.00	486.26
128	नेरियामंगलम	केएसईबीएल	70.00	288.19
129	पल्लीवसल	केएसईबीएल	37.50	173.10
130	पन्नियर	केएसईबीएल	30.00	109.58
131	पोरिंगलकुथु	केएसईबीएल	32.00	115.71
132	साबरीगिरी	केएसईबीएल	300.00	801.42
133	संगुलम	केएसईबीएल	48.00	141.20
134	शोलायर	केएसईबीएल	54.00	181.57
	<b>कुल केरल</b>		<b>1881.50</b>	<b>4563.83</b>
	<b>तमिलनाडु</b>			
135	अलियर	टैजेडको	60.00	90.08
136	भवानी कट्टालई बैराज-III	टैजेडको	30.00	0.00
137	भवानी कट्टालई बैराज-II	टैजेडको	30.00	37.66
138	भवानी कट्टालई बैराज-I	टैजेडको	30.00	16.68
139	कदमपराई पीएसएस	टैजेडको	400.00	335.94
140	कोडायर-I व II	टैजेडको	100.00	123.88
141	कुंडहा I-V	टैजेडको	555.00	701.38
142	लोअर मेडूर I-IV	टैजेडको	120.00	130.24
143	मेडूर डैम और टनल	टैजेडको	250.00	214.08
144	मोयर	टैजेडको	36.00	81.14
145	पापनसम	टैजेडको	32.00	108.67
146	पर्सन्स वैली	टैजेडको	30.00	22.31
147	पेरियार	टैजेडको	161.00	287.07
148	पाईकारा	टैजेडको	59.20	0.98
149	पाईकारा अल्टीमेट	टैजेडको	150.00	234.28
150	सरकारपथी	टैजेडको	30.00	85.41
151	शोलायर-I व II	टैजेडको	95.00	157.72
152	सुरुत्तियर	टैजेडको	35.00	65.75
	<b>कुल तमिलनाडु</b>		<b>2203.20</b>	<b>2693.27</b>
	<b>कुल दक्षिणी</b>		<b>11727.70</b>	<b>16962.39</b>
	<b>पूर्वी क्षेत्र</b>			
	<b>झारखंड</b>			
153	मैथॉन (डब्ल्यूबी)	डीवीसी	63.20	107.37
154	पंचेट	डीवीसी	80.00	135.10
155	सुबर्णरेखा-I व II	जेयूएनएल	130.00	188.65
	<b>कुल झारखंड</b>		<b>273.20</b>	<b>431.12</b>
	<b>ओडिशा</b>			
156	मचकुंड	एपजैको	114.75	420.38
157	बालीमेला	ओएचपीसी	510.00	1418.47
158	हीराकुंड-I	ओएचपीसी	275.50	590.05
159	हीराकुंड-II	ओएचपीसी	72.00	232.33
160	रैगाली	ओएचपीसी	250.00	707.61
161	अपर इंद्रावती	ओएचपीसी	600.00	1624.26
162	अपर कोलाब	ओएचपीसी	320.00	645.40

	कुल ओडिशा		2142.25	5638.50
	सिक्किम			
163	जोरथांग लूप	डीईपीएल	96.00	396.10
164	ताशिडिंग	एसईपीएल	97.00	62.09
165	दिक्चू	एसकेपीपीपीएल	96.00	361.96
166	चूजाचैन (सिक्किम)	जीआईपीएल	110.00	433.65
167	तीस्ता-III	टीयूएल	1200.00	4267.08
168	रंगित	एनएचपीसी	60.00	333.08
169	तीस्ता-V	एनएचपीसी	510.00	2715.41
	कुल सिक्किम		2169.00	8569.37
	पश्चिम बंगाल			
170	जलढाका-I	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	36.00	136.00
171	पुरुलिया पीएसएस	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	900.00	939.79
172	रम्माम-II	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	50.00	114.15
173	तीस्ता लो डैम-III	एनएचपीसी	132.00	371.19
174	तीस्ता लो डैम-IV	एनएचपीसी	160.00	475.35
	कुल पश्चिम बंगाल		1278.00	2036.48
	कुल पूर्वी		5862.45	16675.47
	पूर्वोत्तर क्षेत्र			
	असम			
175	कारबी लांगपी	एपीजीसीएल	100.00	472.80
176	खांडोंग	नीपको	75.00	255.95
177	कोपिली	नीपको	200.00	1139.59
	कुल असम		375.00	1868.34
	मेघालय			
178	किरदमकुलई	एमईपीजीसीएल	60.00	120.67
179	मिटंडू	एमईपीजीसीएल	126.00	499.42
180	न्यू उमतरू	एमईपीजीसीएल	40.00	152.82
181	उमियम स्टे.-I	एमईपीजीसीएल	36.00	119.84
182	उमियम स्टे.-IV	एमईपीजीसीएल	60.00	204.88
	कुल मेघालय		322.00	1097.63
	नागालैंड			
183	दोयांग	नीपको	75.00	271.44
	कुल नागालैंड		75.00	271.44
	मिजोरम			
184	तुरियल	नीपको	60.00	73.47
	कुल मिजोरम		60.00	73.47
	अरुणाचल प्रदेश			
185	रंगानदी	नीपको	405.00	1365.90
	कुल अरुणाचल		405.00	1365.90
	मणिपुर			
186	लोकटक (मणिपुर)	एनएचपीसी	105.00	795.82
	कुल मणिपुर		105.00	795.82
	कुल पूर्वी क्षेत्र		1342.00	5472.60
	कुल अखिल भारत		44963.42	119145.83
	* अनंतिम			

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 6314 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

28.02.2018 की स्थिति के अनुसार

केंद्रीय/संयुक्त/साझा क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का आबंटन

उत्तरी क्षेत्र

क. केंद्रीय क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	बैरा सिउल (3x60 मेगावाट)		सलाल स्टेज-I (3x115 मेगावाट)		सलाल स्टे-II (3x115 मेगावाट)	
		(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)
1	हरियाणा	54.90	30.5	70.04	20.30	16.8	4.9
2	हिमाचल प्रदेश	21.60	12.0	-	-	9.9	2.9
3	जम्मू व कश्मीर	-	0.0	120.75	35.00 @	62.8	18.2
4	पंजाब	83.70	46.5	112.13	32.50	53.0	15.4
5	राजस्थान	-	-	-	-	29.6	8.6
6	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	82.2	23.8
7	चंडीगढ़	-	-	-	-	2.7	0.8
8	दिल्ली	19.80	11.0	42.09	12.20	36.2	10.5
9	अनाबंटित	-	-	-	-	51.8	15.0
	कुल	180.00	100.0	345.00	100.00	345.0	100.0
		एमओपी पत्र सं. 16/19/93-डीओ(एनएचपीसी) दिनांक 5.9.94 (%)		एमओपी पत्र सं. 16/19/93-डीओ(एनएचपीसी) दिनांक 5.9.94 (%)		एमओपी पत्र सं. 16/50/93-डीओ(एनएचपीसी) दिनांक 22 अक्टू.,1993[मेगावाट व %]	

क्रम सं.	राज्य	चमेरा स्टे.-I (3x180 मेगावाट)		टनकपुर (3x40 मेगावाट)		उरी (4x120 मेगावाट)	
		(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)
1	हरियाणा	26.30	4.9	6.00	5.0	26.00	5.4
2	हिमाचल प्रदेश	80.30	14.9 @	4.00	3.3	13.00	2.7
3	जम्मू व कश्मीर	33.50	6.2	8.00	6.7	91.00	19.0
4	पंजाब	82.90	15.4	18.00	15.0	66.00	13.8
5	राजस्थान	46.40	8.6	11.00	9.2	43.00	9.0
6	उत्तर प्रदेश	128.70	23.8	41.00	34.2 @	113.00	23.5
7	चंडीगढ़	4.20	0.8	1.00	0.8	3.00	0.6

8	दिल्ली	56.70	10.5	13.00	10.8	53.00	11.0
9	अनाबंठित	81.00	15.0	18.00	15.0	72.00	15.0
	कुल	540.0	100.0	120.0	100.0	480.0	100.0
		एमओपी पत्र सं. 16/50/93-डीओ(एनएचपीसी) दिनांक 22 अक्टू., 1993[मेगावाट व %]		एमओपी व एनसीईएस पत्र सं. 16/46/86-डीओ (एनएचपीसी) दिनांक 18 मार्च.,1992 [मेगावाट व %]		एमओपी पत्र सं. 16/61/96-डीओ(एनएचपीसी) दिनांक 13 जन.,1997[मेगावाट व %]	

@ --- गृह राज्य को 12% निःशुल्क विद्युत सहित [मेगावाट] उस तरीके को दर्शाता है जिसमें आबंटन अक्षरों में दर्शाया गया है (%) दर्शाता है कि आबंटन प्रतिशत आधार पर किया गया है

क्रम सं.	राज्य	नाथपा झाकड़ी (6x250 मेगावाट)		रामपुर एचईपी (6x68.67 मेगावाट)		चमेरा स्टे.-II (3x100 मेगावाट)		धौलीगंगा (4x70 मेगावाट)	
		(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)
1	हरियाणा	64.00	4.27	17.11	4.15	17.0	5.66	16.00	7.82
2	हिमाचल प्रदेश*	547.00	36.47	172.66	41.91	47.0 *	15.67	10.00	5.05
3	जम्मू व कश्मीर	105.00	7.00	29.35	7.12	19.0	6.33	17.00	8.22
4	पंजाब	114.00	7.60	23.16	5.62	30.0	10.00	28.00	13.61
5	राजस्थान	112.00	7.47	31.81	7.72	29.0	9.66	27.00	13.22
6	उत्तर प्रदेश	221.00	14.73	56.68	13.76	62.0	20.66	56.00	27.39
7	उत्तराखंड	38.00	2.53	16.10	3.91	0.0	0.00	45.00 *	17.58
8	चंडीगढ़	8.00	0.53	2.49	0.60	2.0	0.60	2.00	0.95
9	दिल्ली	142.00	9.47	25.00	6.07	40.0	13.33	37.00	18.19
10	अनाबंठित**	149.00	9.93	37.64	9.14	54.0 **	17.99	42.00	15.00
	कुल	1500.00	100.00	412.00	100.00	300.0	100.00	280.0	100.00

एमओपी पत्र सं. 13/12/2002-एच-II दिनांक-26 मार्च, 2003  
एमओपी पत्र सं. 23/15/2013-एच-II दिनांक-18 दिसंबर, 2013

एमओपी पत्र सं. 10/1/03-डीओ(एनएचपीसी) दिनांक 2.9.04 और 19.10.04 को संशोधित [मेगावाट व %]

एमओपी पत्र सं. 12/1/98-डीओ एनएचपीसी दिनांक 26.4.2005 (मेगावाट व %)

**नाथपा झाकड़ी सहित हिमाचल प्रदेश को आबंटन:**

- \* हुई कठिनाईयों के कारण 12% निःशुल्क विद्युत
- \* शेष 88% में 25% हिस्सा (अर्थात 330 मेगावाट), इन्विटी हिस्से में 25% के हिस्से से राज्यों में सहमति
- \*\* आवश्यकता के आधार पर क्षेत्र में या बाहर अनाबंठित कोटा (उपर्युक्त (i) एवं (ii) लेख में लेने के पश्चात उपलब्ध विद्युत 15%) वितरित किया जाना है।
- \* केंद्रीय योजना सहायता और ऊर्जा विक्रय पर आधारित आबंटन फॉर्मूले के अनुसार उपर्युक्त (i) से (iii) लेख में लेने के बाद शेष उपलब्ध विद्युत में राज्य का 4.4% हिस्सा (अर्थात 37 मेगावाट)

\* 12% निःशुल्क विद्युत सहित  
\*\* उत्तरांचल के द्वारा अस्वीकृत किया गया 9 मेगावाट का हिस्सा शामिल है।  
\* 33.6 मेगावाट हिस्से में गृह राज्य को 12% निःशुल्क विद्युत + 11.4 मेगावाट पात्र हिस्सा

**जम्मू व कश्मीर में दुलहस्ती (एनएचपीसी)**

कुल क्षमता	390.00 मेगावाट
गृह राज्य का हिस्सा (जम्मू व कश्मीर)-12%	46.80 मेगावाट
इक्विटी शेयर - 15%	58.50 मेगावाट
शेष क्षमता - 73%	284.70 मेगावाट

(एनआर के मूल राज्यों को आबंटन के लिए)

क्रम सं.	राज्य	आबंटन	
		%	(मेगावाट)
1	हरियाणा	7.50	21.36
3	जम्मू व कश्मीर *	12.45	35.69*
4	पंजाब	11.34	32.28
5	राजस्थान	14.90	42.42
6	(उत्तर प्रदेश)	35.50#	85.05
7	(उत्तराखंड)		16.02
8	चंडीगढ़	0.65	1.85
9	दिल्ली	17.57	50.03
	कुल	100.00	284.70

एमओपी पत्र सं. 2/2/2006-डीओ (एनएचपीसी) दिनांक 27.03.2008

\* हिमाचल प्रदेश के पात्र हिस्से का 12.75 मेगावाट कुल क्षमता का 4.48% होता है (जम्मू व कश्मीर के गृह राज्य की 12% निःशुल्क विद्युत कटौती और 15% अनाबंटित हिस्से के पश्चात), जो जम्मू व कश्मीर को आबंटित किया गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने दुलहस्ती एचईपी से विद्युत क्रय करने से मना कर दिया था।

#उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के संबंध में आबंटन उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व में गैर-विभाजन को देखते हुए किया गया। गैर-विभाजित उत्तर प्रदेश के लिए 101.07 मेगावाट का हिस्सा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के लिए क्रमशः 84.15 % और 15.85 % बांटा गया है।

**उत्तराखंड में टिहरी स्टेज-1 (टीएचडीसीआईएल)**

टिहरी-1 की कुल क्षमता	1000 मेगावाट
गृह राज्य का हिस्सा (उत्तरांचल को)-12%	120 मेगावाट
इक्विटी शेयर (उत्तर प्रदेश को)-शेष 880 मेगावाट का 25%	220 मेगावाट
अनाबंटित हिस्सा-शेष 660 मेगावाट का 15%	99 मेगावाट
शेष क्षमता	561 मेगावाट

**उत्तराखंड में विष्णुगाड पीपलकोटि एचईपी (टीएचडीसीआईएल)**

टिहरी-1 की कुल क्षमता	444 मेगावाट
गृह राज्य का हिस्सा (उत्तरांचल को)-12%	53.3 मेगावाट
स्थानीय क्षेत्र विकास	4.4 मेगावाट
इक्विटी शेयर (उत्तर प्रदेश को)- शेष 386.3 मेगावाट का 25%	96.6 मेगावाट
अनाबंटित हिस्सा-शेष 289.7 मेगावाट का 15%	43.5 मेगावाट
शेष क्षमता	246.2 मेगावाट

क्रम सं.	राज्य	टिहरी स्टे.-1		विष्णुगाड पीपलकोटि एचईपी	
		(मेगावाट)	(%)	मेगावाट	

1	हरियाणा	43.00	7.71	18.40	4.14
2	हिमाचल प्रदेश	28.00	5.03	11.50	2.58
3	जम्मू व कश्मीर	48.00	8.59	23.60	5.32
4	पंजाब	77.00	13.66	26.90	6.05
5	राजस्थान	75	13.33	37.30	8.41
6	\$ उत्तर प्रदेश	154+220**	27.4+ 880 मेगावाट का 25%	165.50	37.27#
7	\$ उत्तराखंड	27+120*	4.81+1000 मेगावाट का 12%	71.80	16.17***
8	चंडीगढ़	6	1.01	2.00	0.46
9	दिल्ली	103	18.46	43.60	9.81
10	अनाबंटित	99	660 मेगावाट का 15%	43.40	9.79
कुल		479	100	444.00	100

टिहरी स्टे.-I ** विद्युत का इक्विटी शेयर * प्रभावित राज्य हिस्सा एमओपी पत्र सं. 11/6/2003/एच-1 दिनांक-18 मई, 2005	विष्णुगाड पीपलकोटि एचईपी # इक्विटी शेयर सहित *** 13% निःशुल्क हिस्से सहित (12% गृह राज्य हिस्सा और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास) एमओपी पत्र सं. 11/28/2008/एच-1 दिनांक-26 दिसंबर, 2011
---	---

\$ (चूंकि, उत्तरांचल और नवगठित उत्तर प्रदेश का केंद्रीय योजना सहायता और ऊर्जा विक्रय पंचवर्षीय अवधि 1998-2003 के लिए उपलब्ध नहीं है, हिस्सा गैर-विभाजित उत्तर प्रदेश के लिए पहले दिया गया। गैर-विभाजित उत्तर प्रदेश का भाग 2001-02 के लिए केंद्रीय योजना सहायता और दिनांक 5.11.2001 के विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुसार 90:10 के ऊर्जा खपत के संबंधित अनुपात को ध्यान में रखते हुए उत्तरांचल और नवगठित उत्तर प्रदेश के बीच 85.18% और 4.82% के अनुपात में बांटा गया।

#### कोटेश्वर एच.ई. परियोजना (400मेगावाट) से विद्युत का आबंटन - उत्तराखंड (टीएचडीसी)

कोटेश्वर की कुल क्षमता	400 मेगावाट
प्रभावित राज्य हिस्सा (उत्तरांचल को)-12%	48 मेगावाट
इक्विटी शेयर (उत्तर प्रदेश को)-शेष 352 मेगावाट का 25%	88 मेगावाट
अनाबंटित हिस्सा-शेष 264 मेगावाट का 15%	39.6 मेगावाट
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आबंटन के लिए शेष क्षमता	224.4 मेगावाट

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रभावित राज्य हिस्सा/इक्विटी शेयर/अनाबंटित	वह समानुपात जिसमें 56.1% की शेष क्षमता की भागीदारी की जानी है	संस्थापित क्षमता के कुल हिस्से के रूप में %	समतुल्य मात्रा
		(%)	(%)	(%)	मेगावाट
1	चंडीगढ़		0.65	0.36	1.50
2	हरियाणा		7.50	4.21	16.80
3	हिमाचल प्रदेश		4.48	2.51	10.10
4	जम्मू व कश्मीर		8.06	4.52	18.10

5	पंजाब		11.34	6.36	25.50
6	राजस्थान		14.90	8.36	33.40
7	उत्तर प्रदेश	22 \$	29.87	38.76	155.00**
8	उत्तराखंड	12*	5.63	15.16	60.60
9	दिल्ली		17.57	9.86	39.40
10	अनाबंटित	9.9#		9.90	39.60
	<b>कुल</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>400.00</b>

अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय के पत्र सं. एफ. सं.11/9/2006-एच-1 दिनांक 8.8.2007 द्वारा

\* कुल क्षमता का 12% (प्रभावित राज्य हिस्सा)

\$ 88% का 25% (अर्थात् कुल क्षमता - प्रभावित राज्य हिस्सा)

# 66% का 15% (अर्थात् कुल क्षमता - प्रभावित राज्य हिस्सा और इन्विटी शेयर)

{\*\* चूंकि उत्तराखंड और नवगठित उत्तर प्रदेश के केंद्रीय योजना सहायता और ऊर्जा खपत पंचवर्षीय अवधि 2000-05 के लिए उपलब्ध नहीं है, राज्य को गैर-विभाजित उत्तर प्रदेश के लिए 80 मेगावाट दिया गया। गैर-विभाजित उत्तर प्रदेश के लिए 80 मेगावाट भाग फिर से बांटा गया। तीन वर्ष अर्थात् 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए ऊर्जा उपभोग और केंद्रीय योजना सहायता पर विचार करते हुए नवगठित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 84.15% और 15.85% के अनुपात में बांटा गया। नवगठित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इस तरह बांटा गया:- नवगठित उत्तर प्रदेश = 67+88=155, उत्तरांचल = 13+ 48 = 61 मेगावाट, कुल = 216 मेगावाट.

**निम्नो बाजगो एच.ई. परियोजना (3x15=45मेगावाट) से विद्युत का आबंटन - जम्मू व कश्मीर (एनएचपीसी)**

	प्रतिशत हिस्सा	सकल संस्थापित क्षमता में समतुल्य मेगावाट
गृह राज्य हिस्से (निःशुल्क विद्युत) से जम्मू व कश्मीर राज्य	12%	5.4 मेगावाट
स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य को निःशुल्क विद्युत	1%	0.45 मेगावाट
अनाबंटित हिस्सा	15%	6.75 मेगावाट
जम्मू व कश्मीर राज्य को आबंटित क्षमता	72%	32.8 मेगावाट

अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय के पत्र सं. एफ. सं. 33/1/2002-डीओ(एनएचपीसी)(खंड.IV) दिनांक 8.4.2011 द्वारा.

15% का अनाबंटित हिस्सा सर्दी के महीनों के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य को आबंटित किया गया।

जम्मू व कश्मीर सरकार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि कोष को 12% अपने हिस्से में से निःशुल्क विद्युत प्रदान करेगा।

**चूक एचईपी (3x11=44 मेगावाट) से सुनिश्चित विद्युत का आबंटन- जम्मू व कश्मीर (एनएचपीसी)**

	प्रतिशत हिस्सा	सकल संस्थापित क्षमता में समतुल्य मेगावाट
गृह राज्य हिस्से (निःशुल्क विद्युत) से जम्मू व कश्मीर राज्य	12%	5.28 मेगावाट
स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य को निःशुल्क विद्युत	1%	0.44 मेगावाट
अनाबंटित हिस्सा	15%	6.60 मेगावाट
जम्मू व कश्मीर राज्य को आबंटित क्षमता	72%	31.68 मेगावाट

अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय के पत्र सं. एफ. सं. 22/10/2001-एनएचपीसी/खंड.III दिनांक.02.09.2011 द्वारा

15% का अनाबंटित हिस्सा सर्दी के महीनों के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य को आबंटित किया गया।

जम्मू व कश्मीर सरकार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि कोष को 12% अपने हिस्से में से निःशुल्क विद्युत प्रदान करेगा।

**उरी-II एचईपी (4x60=240 मेगावाट) से सुनिश्चित विद्युत का आबंटन -जम्मू व कश्मीर (एनएचपीसी)**

	प्रतिशत हिस्सा	सकल संस्थापित क्षमता में समतुल्य मेगावाट (*)
हरियाणा	5.571	13.40

हिमाचल प्रदेश #	शून्य	शून्य
जम्मू व कश्मीर \$	20.331	48.80
पंजाब	8.132	19.50
राजस्थान	11.405	27.40
उत्तर प्रदेश	21.125	50.70
उत्तराखंड	4.351	10.40
चंडीगढ़	0.633	1.60
दिल्ली	13.452	32.20
अनाबंदिता	15.000	36.00
<b>कुल</b>	<b>100.00</b>	<b>240.00</b>

विद्युत मंत्रालय के पत्र सं. एफ. सं. 2/8/2009(एनएचपीसी) दिनांक 11.12.2012 द्वारा

\* दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांक बनाया गया है।

# एनएचपीसी ने दर्शाया है कि विद्युत क्रय करार, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, जिसने परियोजना से विद्युत क्रय करने से मना कर दिया था, पूर्वोत्तर राज्य के सभी घटक राज्यों के साथ किया गया है।

\$ 13% निःशुल्क विद्युत सहित (12% गृह राज्य हिस्सा और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1%)

15% का अनाबंदिता हिस्सा सड़ों के महीनों के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य को आबंदिता किया गया।

क्रम सं.	राज्य	चमेरा-III (3x77 मेगावाट)		पारबती-III (4x130 मेगावाट)	
		(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)
1	हरियाणा	12.4	5.368	27.99	5.383
2	हिमाचल प्रदेश	37.8	16.364#	85.05	16.356\$
3	जम्मू व कश्मीर	15.9	6.883	35.89	6.902
4	पंजाब	18.2	7.879	40.85	7.856
5	राजस्थान	25.2	10.909	56.75	10.913
6	उत्तर प्रदेश	46.5	20.130	104.75	20.144
7	उत्तराखंड	9.5	4.113	21.38	4.112
8	चंडीगढ़	1.4	0.606	3.12	0.600
9	दिल्ली	29.4	12.727	66.22	12.735
10	अनाबंदिता**	34.7	15.022	78.00	15.000
	<b>कुल</b>	<b>231.0</b>	<b>100.00</b>	<b>520.00</b>	<b>100.00</b>

#### चमेरा-III

एमओपी पत्र सं. 10/3/2003-एनएचपीसी(खंड II) दिनांक 27.03.2012 द्वारा

# 13% निःशुल्क विद्युत सहित (12% गृह राज्य हिस्सा और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1%)

**पारबती-III**

एमओपी पत्र सं. 7/1/2002-एनएचपीसी(खंड II) दिनांक 10.12.2012 द्वारा

\$ 13% निःशुल्क विद्युत सहित (12% गृह राज्य हिस्सा और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1%

हिमाचल प्रदेश में कोलडैम जल विद्युत परियोजना (4x200 मेगावाट) से विद्युत का आबंटन

(एमओपी पत्र सं. 5/7/2013-थर्मल.II(खंड-I) द्वारा

क्रम सं.	उत्तरी क्षेत्र राज्य	आबंटन का प्रतिशत हिस्सा	गृह राज्य के हिस्से और अनाबंटित हिस्से सहित कुल हिस्सा (मेगावाट)	प्रतिशत आबंटन
	हरियाणा	576 का 8.14%	46.90	9.81
	हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्पित किए गए राज्यों के क्षेत्र से 5 वर्षों के लिए हरियाणा को आबंटित किया गया		31.60	
	<b>कुल</b>		<b>78.50</b>	
2	हिमाचल प्रदेश	576 का 5.49%	31.60	28
	* गृह राज्य (12%)-मेजबान सरकार के लिए निःशुल्क विद्युत	800 का 12%	96.00	
	* गृह राज्य (1%)-राज्य सरकार द्वारा संघटित स्थानीय क्षेत्र विकास के रूप में	800 का 1%	8.00	
	दिल्ली को अभ्यर्पित हिस्सा	6.96%	55.66	
	अनाबंटित कोटे से हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत	8.04%	64.34	
	<b>कुल</b>		<b>255.60</b>	
	5 वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय हिस्से में कमी करते हुए राज्य		31.60	
<b>सकल योग</b>		<b>224.00</b>		
3	जम्मू व कश्मीर	576 का 15.44%	88.90	11.11
4	पंजाब	576 का 10.73%	61.80	7.73
5	राजस्थान	576 का 14.89%	85.50	10.73
6	उत्तर प्रदेश	576 का 26.25%	151.20	18.90
7	उत्तराखंड	576 का 8.30%	87.80	5.98
8	चंडीगढ़	576 का 1.10%	6.34	0.79
9	अनाबंटित (6.96%)*	576 का 6.96%	55.66	6.96
	<b>कुल</b>	<b>100.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>

\* 6.96 % का अनाबंटित हिस्सा उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय अनाबंटित विद्युत पूल में जोड़ा जाएगा।

**केंद्रीय क्षेत्र/साझा क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का आबंटन**

उत्तरी क्षेत्र

ख. साझा परियोजनाएं

1

विवरण	भाखड़ा-नंगल परियोजना	ब्यास परियोजना	
		देहार विद्युत परियोजना	पोंग विद्युत परियोजना
साझी पूल आपूर्तियों को छोड़कर बंटवारे के लिए उपलब्ध एक्स-बस एनर्जी तथा उसके बाद राजस्थान का हिस्सा	वाई (अर्थात)	वाई (अर्थात)	वाई (अर्थात)
हिमाचल प्रदेश	वाई का 7.19%	वाई का 7.19%	वाई का 7.19%
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	वाई का 3.50%	वाई का 3.50%	वाई का 3.50%
पंजाब	वाई का 51.80%	वाई का 51.80%	वाई का 51.80%
हरियाणा	वाई का 37.51%	वाई का 37.51%	वाई का 37.51%

2 मौजूदा साझी पूल आपूर्तियां नीचे दी गई आपूर्तियां हैं:-

(क) भाखड़ा-नंगल परियोजना से

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| i) एनएफएल, नया नंगल              | 85% एलएफ पर 5 मेगावाट (1.02 एलयू/दिन)  |
| ii) ओल्ड एच. पी.                 | 50% एलएफ पर 10 मेगावाट (1.02 एलयू/दिन) |
| iii) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़   | 11 एलयू/दिन                            |
| iv) राजस्थान फर्टिलाइजर फैक्ट्री | 85% एलएफ पर 25 मेगावाट (5.0 एलयू/दिन)  |

(ख) भाखड़ा-नंगल और ब्यास परियोजना से

- i) परियोजना आपूर्तियां (आई.बी. खपत)

3 उपर्युक्त साझा पूल आपूर्तियों को छोड़कर राजस्थान का मौजूदा ऊर्जा हिस्सा इस प्रकार है:

भाखड़ा-नंगल परियोजना	ब्यास परियोजना	
	देहार विद्युत परियोजना	पोंग विद्युत परियोजना
15.22%	15.22%	15.22%

गांधी सागर 5x23)+ आर. पी. सागर (4x43) + जवाहर सागर (3x33) = 386 मेगावाट			राजघाट (45 मेगावाट)		
राज्य	मेगावाट	%	राज्य	मेगावाट	%
मध्य प्रदेश	193	50	मध्य प्रदेश	22.5	50
राजस्थान	193	50	उत्तर प्रदेश	22.5	50

**केंद्रीय क्षेत्र/साझा क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का आबंटन**

ग. अन्य परियोजनाएं

राज्य	आबंटन
<b>यमुना स्टे. I, II व IV</b>	
उत्तर प्रदेश	75%
हिमाचल प्रदेश	उत्पादन की लागत पर ऊर्जा का 25%
<b>माताटीला</b>	
उत्तर प्रदेश	67%
मध्य प्रदेश	33%
<b>रिहंद</b>	
उत्तर प्रदेश	85%
मध्य प्रदेश	ऊर्जा पर आधारित विद्युत का 15%, 5% के लागत आधिक्य मूल्य पर उपलब्ध है। available at cost price plus
<b>शानन (4 x 15 मेगावाट)</b>	
हिमाचल प्रदेश	500 केडब्ल्यू प्रभार रहित + थोक आपूर्ति प्रशुल्क शेष पर 1000 केडब्ल्यू
पंजाब	
<b>शानन एक्सटेंशन (1x 50 मेगावाट)</b>	
हिमाचल प्रदेश	ऊर्जा उत्पादन की लागत 45 एमयू ऊर्जा
पंजाब	शेष

**पश्चिमी क्षेत्र**

क. केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं

- शून्य-

ख. साझा क्षेत्र की परियोजनाएं

I. पंच (160 मेगावाट)

क्रम सं.	राज्य	(मेगावाट)	(%)
1	मध्य प्रदेश	106.70	66.69
2	महाराष्ट्र	53.30	33.31
	कुल	160.00	100

II. गांधी सागर (5x23) + आर. पी. सागर (4x43) +  
जे. सागर 3x33) = 386 मेगावाट

	राज्य	(मेगावाट)	(%)
1	मध्य प्रदेश	193.00	50.00
2	राजस्थान	193.00	50.00
	कुल	386	100

III. राजघाट (45 मेगावाट)

	राज्य	(मेगावाट)	(%)
1	मध्य प्रदेश	22.5	50.0
2	उत्तर प्रदेश	22.5	50.0
	कुल	45	100

ग. विदेशी परियोजनाएं

- शून्य-

**दक्षिणी क्षेत्र**

क. केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं

-शून्य-

ख. साझा क्षेत्र की परियोजनाएं

क्रम सं.	मचकुंड (114 मेगावाट)		
	राज्य	(मेगावाट)	(%)
1	आंध्र प्रदेश	79.8	70.0
2	ओडिशा	34.2	30.0
	कुल	114	100

टी. बी. डैम व हम्पी (72 मेगावाट)

	राज्य	(मेगावाट)	(%)
1	आंध्र प्रदेश	57.6	80.0
2	कर्नाटक	14.4	20.0
	कुल	72.0	100

ग. विदेशी परियोजनाएं

-शून्य-

पूर्वी क्षेत्र

क. केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं (एनएचपीसी)

क्रम सं.	रंगित स्टे.-III (3x20 मेगावाट)		
	राज्य	मेगावाट	%
1	डीवीसी	6	10.00
2	बिहार	13	21.67
3	ओडिशा	10	16.67
4	पश्चिम बंगाल	14	23.33
5	सिक्किम*	8	13.33
6	अनाबंटित	9	15.00
	<b>कुल</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

तीस्ता-V (3x170 मेगावाट)		
राज्य	मेगावाट	%
डीवीसी	44	8.63
बिहार	55	10.78
ओडिशा**	105	20.59
झारखंड	40	7.84
पश्चिम बंगाल	122	23.92
सिक्किम*	67	13.14
अनाबंटित	77	15.10
<b>कुल</b>	<b>510</b>	<b>100</b>

क्रम सं.	रम्माम स्टे.-III (120 मेगावाट)		
	राज्य	मेगावाट	%
1	पश्चिम बंगाल	87.6	73.00
2	सिक्किम	14.4	12.00
3	अनाबंटित	18	15.00
	<b>कुल</b>	<b>120</b>	<b>100</b>

तीस्ता लो डैम-III(132 मेगावाट)		
राज्य	मेगावाट	%
पश्चिम बंगाल	132	100
<b>कुल</b>	<b>132</b>	<b>100</b>

तीस्ता लो डैम-IV(160मेगावाट)		
राज्य	मेगावाट	%
पश्चिम बंगाल	160	100
<b>कुल</b>	<b>160</b>	<b>100</b>

\* गृह राज्य को 12% निःशुल्क विद्युत सहित

\*\* ओडिशा का आबंटन एनएचपीसी के साथ सुनिश्चित पीपीए करते हुए ओडिशा (ग्रिडको) के अधीन होगा तथा इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर भुगतान सुरक्षा शर्तों की अनुपालना के अधीन होगा।

(एमओपी पत्र सं. 8/2/2000-डीओ (एनएचपीसी) दिनांक 20.07.2000)

(एमओपी एफ. सं. 8/1/2002-एनएचपीसी दिनांक 20.02.2008)

(एमओपी पत्र सं. 8/1/2003-एनएचपीसी(खंड II) दिनांक 20.12.2012)

(एमओपी पत्र सं. 8/2/2003-एनएचपीसी(खंड III) दिनांक 10.06.2015)

ख. साझा क्षेत्र की परियोजनाएं

क्रम सं.	मचकुंद (114 मेगावाट)		
	राज्य	मेगावाट	%
1	आंध्र प्रदेश	80	70.18
2	ओडिशा	34	29.82
	<b>कुल</b>	<b>114</b>	<b>0</b>

ग. विदेशी परियोजनाएं

क्रम सं.	चुखा (336 मेगावाट), भूटान		
	राज्य	मेगावाट	%
1	बिहार	69.5	25.74
2	डीवीसी	40.5	15.00
3	ओडिशा	36.4	13.48
4	पश्चिम बंगाल	78.6	29.11
5	सिक्किम	4.5	1.67
6	अनाबंटित	40.5	15.00
	<b>कुल</b>	<b>270</b>	<b>100</b>

पूर्वोत्तर क्षेत्र

क. केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं

लोकटक (3x35 मेगावाट)			
क्रम सं.	राज्य	(मेगावाट)	(%)
1	मणिपुर	30.4	28.95
2	असम	24.3	23.14
3	त्रिपुरा	12.1	11.52
4	नागालैंड	6.1	5.81
5	अरुणाचल पीडी	5	4.76
6	मेघालय	8.11	7.72
7	मिजोरम	4	3.81
8	अनाबंटित	15	14.28
कुल		105	100

एमओपी पत्र सं. 16/19/93-डीओ(एनएचपीसी) दिनांक 5.9.94

दोयांग (3x25 मेगावाट)			
क्रम सं.	राज्य	(मेगावाट)	(%)
1	मणिपुर	5	6.67
2	असम	28	37.33
3	त्रिपुरा	5	6.67
4	नागालैंड	13	17.33 @
5	अरुणाचल पीडी	5	6.67
6	मेघालय	5	6.67
7	मिजोरम	3	4.00
8	अनाबंटित	11	14.67
कुल		75	100

एमओपी पत्र सं. 1/20/93-डी (टीएंडएन)/हाइडल-II दिनांक 31.1.2000

@- 9 मेगावाट सहित (12% निःशुल्क विद्युत)

कोपिली (150 मेगावाट)			
क्रम सं.	राज्य	(मेगावाट)	(%)
1	मणिपुर	8.00	5.33
2	असम	74.50	49.67 *
3	त्रिपुरा	8.00	5.33
4	नागालैंड	9.00	6.00
5	अरुणाचल पीडी	6.00	4.00
6	मेघालय	18.00	12.00 *
7	मिजोरम	4.00	2.67
8	अनाबंटित	22.50	15.00
कुल		150	100

एमओपी पत्र दिनांक 23.10.89

\* -Including 6% free power

कोपिली एक्सटें. (100 मेगावाट)			
क्रम सं.	राज्य	(मेगावाट)	(%)
1	मणिपुर	7.00	7.00
2	असम	44.00	44.00 *
3	त्रिपुरा	6.00	6.00
4	नागालैंड	5.00	5.00
5	अरुणाचल पीडी	6.00	6.00
6	मेघालय	13.00	13.00 *
7	मिजोरम	4.00	4.00
8	अनाबंटित	15.00	15.00
कुल		100	100

एमओपी पत्र सं. 1/21/93-डी (टीएंडएन) हाइडल-II दिनांक 11.2.97

पारे एचईपी (110 मेगावाट)			
क्रम सं.	राज्य	(मेगावाट)	(%)
1	असम	37.28	33.89
2	मणिपुर	7.84	7.13
3	मेघालय	9.27	8.43
4	नागालैंड	5.23	4.75
5	त्रिपुरा	8.39	7.63
6	अरुणाचल प्रदेश	19.45	17.68
7	मिजोरम	4.94	4.49
8	स्थानीय क्षेत्र विकास	1.1	1
9	अनाबंटित	16.5	15
कुल		110	100

एमओपी पत्र सं. 37/23/2010-एच.1 दिनांक 24.05.2011

**सुबानसिरी लोअर एचई परियोजना (2000 मेगावाट)**

विद्युत का आबंटन			
क्रम सं.	क्षेत्र	प्रतिशत आबंटन	समतुल्य विद्युत मेगावाट
क.	पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें गृह राज्य (13%) को निःशुल्क विद्युत शामिल है एवं केंद्र के निपटान पर पूर्वोत्तर राज्यों का अनाबंटित हिस्सा	50	1000
ख.	उत्तरी क्षेत्र	25	500
ग.	पश्चिमी क्षेत्र	25	500

**एनई राज्यों को राज्य-वार आबंटन (एनईआर को आबंटित क्षमता 1000 मेगावाट)**

2000 मेगावाट का गृह राज्य और अनाबंटित निःशुल्क हिस्सा 28% of अर्थात 560 मेगावाट

2000 मेगावाट की 22% अर्थात 440 मेगावाट पूर्वोत्तर राज्यों के बीच शेष विद्युत है।

क्रम सं.	राज्य	आबंटन की प्रतिशतता	समतुल्य विद्युत (मेगावाट)
1	असम	47.27	208
2	मणिपुर	9.86	43
3	मेघालय	11.23	49
4	नागालैंड	6.62	29
5	त्रिपुरा	11.03	49
6	अरुणाचल पीडी	7.65	34*
7	मिजोरम	6.34	28
	कुल	100	440

\* सुबानसिरी एचईपी में अरुणाचल प्रदेश का पात्र हिस्सा राज्य में स्थापित राज्य विनियामक आयोग द्वारा शीघ्र किया जाएगा।

**उत्तरी राज्यों को राज्य-वार आबंटन (एनआर को कुल क्षमता: 500 मेगावाट)**

क्रम सं.	राज्य	आबंटन की प्रतिशतता	समतुल्य विद्युत (मेगावाट)
1	हरियाणा	8.64	43
2	पंजाब	12.76	64
3	राजस्थान	18.71	93
4	उत्तर प्रदेश	36.42	182
5	चंडीगढ़	0.92	5
6	दिल्ली	22.55	113
	कुल	100	500

**पश्चिमी राज्यों को राज्य-वार आबंटन (डब्ल्यूआर को कुल क्षमता: 500 मेगावाट)**

क्रम सं.	राज्य	आबंटन की प्रतिशतता	समतुल्य विद्युत (मेगावाट)
1	गुजरात	32.39	162
2	मध्य प्रदेश	21.1	105
3	छत्तीसगढ़	8.44	42
4	महाराष्ट्र	36.55	183
5	गोवा	1.52	8
	कुल	100	500

**कामेंग एचई परियोजना (600 मेगावाट)**

**विद्युत का आबंटन**

क्रम सं.	क्षेत्र	प्रतिशत आबंटन	समतुल्य विद्युत मेगावाट
क.	पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें गृह राज्य (12%) को निःशुल्क विद्युत शामिल है एवं केंद्र के निपटान पर पूर्वोत्तर राज्यों का अनाबंटित हिस्सा (15%)	50	300
ख.	उत्तरी क्षेत्र	25	150

ग.	पश्चिमी क्षेत्र	25	150
----	-----------------	----	-----

एनई राज्यों को राज्य-वार आबंटन (एनईआर को आबंटित क्षमता 300 मेगावाट)

600 मेगावाट का गृह राज्य और अनाबंटित निःशुल्क हिस्सा 27% अर्थात् 162 मेगावाट

पूर्वोत्तर राज्यों के बीच शेयर की जाने वाली शेष विद्युत 600 मेगावाट का 23 प्रतिशत अर्थात् 138 मेगावाट इस प्रकार है:

क्रम सं.	राज्य	आबंटन की प्रतिशतता	समतुल्य विद्युत (मेगावाट)
1	असम	47.27	65
2	मणिपुर	9.86	14
3	मेघालय	11.23	15
4	नागालैंड	6.62	9
5	त्रिपुरा	11.03	15
6	अरुणाचल पीडी	7.65	11
7	मिजोरम	6.34	9
	कुल	100	138

\* कामेंग एचईपी से अरुणाचल प्रदेश के देय हिस्से को यथाशीघ्र अनुमति दी जाएगी, ज्यों ही राज्य में राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना कर ली जाती है।

उत्तरी राज्यों को राज्य-वार आबंटन (एनआर को कुल: 150 मेगावाट)

क्रम सं.	राज्य	आबंटन की प्रतिशतता	समतुल्य विद्युत (मेगावाट)
1	हरियाणा	8.64	13
2	पंजाब	12.76	19
3	राजस्थान	18.71	28
4	उत्तर प्रदेश	36.42	55
5	चंडीगढ़	0.92	1
6	दिल्ली	22.55	34
	कुल	100	150

पश्चिमी राज्यों को राज्य-वार आबंटन (डब्ल्यूआर को कुल क्षमता: 150 मेगावाट)

क्रम सं.	राज्य	आबंटन की प्रतिशतता	समतुल्य विद्युत (मेगावाट)
1	गुजरात	32.39	48
2	मध्य प्रदेश	21.1	32
3	छत्तीसगढ़	8.44	13
4	महाराष्ट्र	36.55	55
5	गोवा	1.52	2
	कुल	100	150

सहायक खपत तथा रूपांतरण हानियों को ध्यान में रखने के पश्चात परियोजना द्वारा उत्पादित वास्तविक ऊर्जा का वितरण ऊपर दर्शाई गई आबंटन की प्रतिशतता तथा लाभग्राहियों को अनाबंटित विद्युत के आबंटन के अनुसार होगा।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6355

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाएं

6355. श्री राहुल शेवाले:

श्री संजय धेरे:

श्री भर्तृहरि महताब:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में निर्मित/निर्माणाधीन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की इकाइयों और सरकारी क्षेत्र की अन्य विद्युत उत्पादन कंपनियों की राज्य-वार संख्या क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान देश में ऐसी इकाइयों के निर्माण से विस्थापित/प्रभावित हुए व्यक्तियों की राज्य और इकाई-वार संख्या क्या है;
- (ग) क्या उक्त कंपनियों ने देश में पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत ऐसे सभी विस्थापितों/प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और इकाई-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सभी विस्थापित/प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास कब तक किए जाने की संभावना है; और
- (ङ) देशभर में ऐसे विस्थापितों/प्रभावित व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) सहित सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं संबंधी ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख) से (ङ) : भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार की पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आरएण्डआर) नीतियों के अनुसार, एक विस्तृत परियोजना विशिष्ट आरएण्डआर योजना, जिसमें पुनर्वास, पुनर्स्थापना से संबंधित उपाय तथा वर्तमान आरएण्डआर नीतियों के अनुसार आवश्यकता आधारित सामुदायिक विकास कार्यक्रम शामिल हैं, एक परामर्शी तथा सहभागी तरीके से तैयार की जाती है जिसमें पणधारक शामिल होते हैं इन पणधारकों में परियोजना प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधि, जिला प्रशासन तथा पीएसयू शामिल होते हैं। आरएण्डआर योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित की जाती है और उसके पश्चात् कार्यान्वित की जाती है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एनटीपीसी की निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाओं में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) की स्थिति तथा परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) की स्थिति का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 6355 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) सहित पीएसयू द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा**

**I. ताप विद्युत परियोजनाएं**

राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	जोड़ी गई वास्तविक क्षमता (मेगावाट)
<b>वर्ष 2014-15</b>				
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>				
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	यू-5	660
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपी एकसटें.	केबीयूएनएल (एनटीपीसी और बीएसईबी का जेवी)	यू-3	195
तमिलनाडु	नैवेली टीपीएस-II एकसपें.	एनएलसी	यू-2	250
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी	एनटीपीएल (एनएलसी और टैजको का जेवी)	यू-1	500
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	ओटीपीएस	मॉड्यूल-2	363.3
त्रिपुरा	मोनार्चक गैस पावर प्रोजेक्ट	नीपको	जीटी	65.4
त्रिपुरा	अगरतला सीसीपीपी	नीपको	एसटी-2	25.5
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-I	डीवीसी	यू-1	600
<b>राज्य क्षेत्र</b>				
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	एपीपीडीएल	यू-1	800
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	एपीपीडीएल	यू-2	800
गुजरात	धुवरन सीसीपीपी-III	जीएसईसीएल	ब्लॉक-1	376.1
गुजरात	सिक्का टीपीएस एकसटें.	जीएसईसीएल	यू-3	250
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	यू-8	500
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एकसटें.	एमएसपीजीसीएल	यू-8	660
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी टीपीपी)	एमपीजेको	यू-2	600
राजस्थान	छाबड़ा टीपीएस एकसटें.	आरआरवीयूएनएल	यू-4	250
राजस्थान	कालीसिंध टीपीपी	आरआरवीयूएनएल	यू-1	600
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एकसटें.-III	आरआरवीयूएनएल	एसटी	50
<b>वर्ष 2015-16</b>				
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>				
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	250
बिहार	नबी नगर टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	250
झारखंड	बोकारो टीपीएस "ए" एकसपें.	डीवीसी	यू-1	500
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी Ph-II	एनटीपीसी	यू-3	660
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी-V	एनटीपीसी	यू-13	500
त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	नीपको	एसटी	35.6
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी	एनएलसी	यू-2	500
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	डीवीसी	यू-2	600
<b>राज्य क्षेत्र</b>				
गुजरात	सिक्का टीपीएस	जीएसईसीएल	यू-4	250
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस स्टे.-III	केपीसीएल	यू-3	700

राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	जोड़ी गई वास्तविक क्षमता (मेगावाट)
कर्नाटक	येरमारस टीपीपी	केपीसीएल	यू-1	800
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	यू-9	500
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एक्सपें.	एमएसपीजीसीएल	यू-9	660
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	यू-8	250
राजस्थान	कालीसिंध टीपीपी	आरवीयूएनएल	यू-2	600
तेलंगाना	सिंगरैनी टीपीपी	सिंगरैनी कॉलरीज कं. लि.	यू-1	600
तेलंगाना	काकातिया टीपीएस एक्सटें.	टीजेको	यू-1	600
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	यू-6	500
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	यू-7	500
पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीएस-एक्सटें	पश्चिम बंगाल	यू-3	500
<b>वर्ष 2016-17</b>				
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>				
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	यू-2	250
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	यू-4	660
बिहार	कांती टीपीएस स्टे.-II	एनटीपीसी	यू-4	195
कर्नाटक	कुडगी टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	800
कर्नाटक	कुडगी टीपीपी	एनटीपीसी	यू-2	800
त्रिपुरा	अगरतला गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट	नीपको	एसटी-1	25.5
उत्तर प्रदेश	ऊंचाहार टीपीएस स्टे.-IV	एनटीपीसी	यू-6	500
<b>राज्य क्षेत्र</b>				
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	जीटी	62.25
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीएस	सीएसपीजीसीएल	यू-2	500
गुजरात	भावनगर टीपीपी	बीईसीएल	यू-1	250
गुजरात	भावनगर टीपीपी	बीईसीएल	यू-2	250
कर्नाटक	येरमारस टीपीपी	केपीसीएल	यू-2	800
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी	एमएसपीजीसीएल	यू-10	660
तेलंगाना	सिंगरैनी टीपीपी	एससीसीएल	यू-2	600
पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीएस-II	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-4	500
<b>वर्ष 2017-18</b>				
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>				
बिहार	नबी नगर टीपीपी	एनटीपीसी और रेलवे का जेवी	2	250.00
छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी	एनटीपीसी	1	800.00
कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी फेज-I	एनटीपीसी	3	800.00
महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	एनटीपीसी	1	660.00
उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	1	660.00
<b>राज्य क्षेत्र</b>				
आंध्र प्रदेश	रायलसीमौ टीपीपी	एपजेंको	6	600.00
राजस्थान	छाबड़ा एससीटीपीपी	आरआरवीयूएनएल	5	660.00
बिहार	बरोनी एक्सटें.	बीएसईबी	8	250.00
बिहार	बरोनी एक्सटें.	बीएसईबी	9	250.00
			<b>कुल</b>	<b>29083.65</b>

## II. जल विद्युत (25 मेगावाट से अधिक)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता (सं.मेगावाट)	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
<b>2014-15</b>				
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>				
1	पारबती-III, एनएचपीसी (4x130)	हिमाचल प्रदेश	4	130
2	रामपुर, एसजेवीएनएल (6x68.67)	हिमाचल प्रदेश	4	68.67
			3	68.67

क्रम सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता (सं.मेगावाट)	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
			6	68.67
3	कोल डैम, एनटीपीसी (4x200)	हिमाचल प्रदेश	2	200
			1	200
<b>2015-16</b>				
केंद्रीय क्षेत्र				
1	कोलडैम, एनटीपीसी, (4x200)	हिमाचल प्रदेश	3	200
			4	200
2	तीस्ता लो डैम-IV, (4x40)	पश्चिम बंगाल	1	40
			2	40
राज्य क्षेत्र				
2	बगलीहार स्टे.-II, जेकेपीडीसी (3x150)	जम्मू व कश्मीर	1	150
			2	150
			3	150
3	लोअर जुराला, टीएसजेको (6x40)	तेलंगाना	1	40
			2	40
			3	40
			4	40
<b>2016-17</b>				
केंद्रीय क्षेत्र				
1	तीस्ता लो डैम-IV, (4x40)	पश्चिम बंगाल	3	40
			4	40
राज्य क्षेत्र				
2	कशांग-I, एचपीपीसीएल, (1x65)	हिमाचल प्रदेश	1	65
3	लोअर जुराला, टीएसजेको, (6x40)	तेलंगाना	5	40
			6	40
4	नागार्जुन सागर, एएसजेको, (2x25)	आंध्र प्रदेश	1	25
			2	25
5	पुलीचिताला, टीएसजेको, (4x30)	तेलंगाना	1	30
			2	65
7	तीस्ता-III, तीस्ता ऊर्जा लि. (6x200)	सिक्किम	3	200
			1	200
			5	200
			2	200
			6	200
			4	200
<b>2017-18</b>				
केंद्रीय क्षेत्र				
1	तुरियल, नीपको, (2x30)	मिजोरम	1	30
			2	30
2	किशनगंगा, एनएचपीसी, (3x330)	जम्मू व कश्मीर	1	110
			2	110
			3	110
राज्य क्षेत्र				
3	न्यू उमतारू, एमईपीजीसीएल, (2x20)	मेघालय	1	20
			2	20
4	सेंज, एचपीपीसीएल, (2x50)	हिमाचल प्रदेश	1	50
			2	50
5	पुलीचिताला, टीएसजेको, (4x30)	तेलंगाना	2	30
			3	30
<b>कुल (2014-18)</b>				<b>4051</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 6355 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) सहित सभी पीएसयू की निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा**

**I. ताप विद्युत परियोजनाएं**

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>				
1	असम	बोंगाईगांव टीपीपी/एनटीपीसी	यू-3	250
2	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-1/एनटीपीसी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
3	बिहार	नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और रेलवे का जेवी	यू-3	250
			यू-4	250
4	बिहार	न्यू नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल का जेवी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
5	छत्तीसगढ़	लारा एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-2	800
6	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
7	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-2	660
8	मध्य प्रदेश	गदरवारा एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	800
			यू-2	800
9	मध्य प्रदेश	खारगोन एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	660
			यू-2	660
10	ओडिशा	डार्लोपल्ली एसटीपीपी/एनटीपीसी	यू-1	800
			यू-2	800
11	राजस्थान	बरसिंगसर टीपीपी एक्सटें./एनएलसी	यू-1	250
12	राजस्थान	बिंजकोट टीपीपी/एनएलसी	यू-1	250
13	तेलंगाना	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.- I/एनटीपीसी	यू-1	800
			यू-2	800
14	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी/एनएलसी	यू-1	500
			यू-2	500
15	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी/एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	यू-2	660
16	उत्तर प्रदेश	घाटमपुर टीपीपी/एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	यू-1	660
			यू-2	660
			यू-3	660
17	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी स्टे.-II/एनटीपीसी	यू-1	660
			यू-2	660
<b>राज्य क्षेत्र</b>				
1	आंध्र प्रदेश	डॉ. नारला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V/एपजैको	यू-1	800

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
2	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II/एपजेंको	यू-1	800
3	असम	नामरूप सीसीजीटी/एपीजीसीएल	एसटी	36.15
4	गुजरात	वानकबोरी टीपीएस एक्सटें./जीएसईसीएल	यू-8	800
5	कर्नाटक	केपीसीएल द्वारा येलहांका सीसीपीपी	जीटी+एसटी	370
6	मध्य प्रदेश	श्री सिंगाजी टीपीपी स्टे.-II/एमपीजेंको	यू-3	660
			यू-4	660
7	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी/ओपीजीसीएल बीटीजी	यू-3	660
			यू-4	660
8	राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें./आरआरवीयूएनएल	यू-6	660
9	राजस्थान	सूरतगढ़ एससीटीपीपी/आरआरवीयूएनएल	यू-7	660
			यू-8	660
10	तेलंगाना	कोथागुडेम टीपीएस स्टे.-VII/टीएसजेंको	यू-1	800
11	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजेंको	यू-1	270
			यू-2	270
			यू-3	270
			यू-4	270
12	तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैंको)/टांजेडको	यू-1	660
13	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी /टांजेडको	यू-1	660
			यू-2	660
14	तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III टांजेडको	यू-1	800
15	तमिलनाडु	उडानगुडी एसटीपीपी स्टेज-I/टांजेडको	यू-1	660
			यू-2	660
16	तमिलनाडु	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी टांजेडको	यू-1	800
			यू-2	800
17	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II/यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660
18	तेलंगाना	यादादरी टीपीएस/टीएसजेंको	यू-1	800
			यू-2	800
			यू-3	800
			यू-4	800
			यू-5	800
19	उत्तर प्रदेश	जवाहरपुर एसटीपीपी/यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660
			यू-2	660
20	उत्तर प्रदेश	ओबरा-सी एसटीपीपी/यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660
			यू-2	660
			कुल	42036.15

## II. जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता	यूनिट सं.	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)
	केंद्रीय क्षेत्र			
1	पकल दुल 4x250= 1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	जम्मू व कश्मीर/सीवीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी का संयुक्त उद्यम)	1000
2	पारबती स्टे.-II 4x200= 800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	800
3	तपोवन विष्णुगाड 4x130=520 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड/एनटीपीसी	520

क्रम सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता	यूनिट सं.	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)
4	टिहरी पीएसएस 4x250= 1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड/टीएचडीसी	1000
5	लता तपोवन 3x57= 171 मेगावाट	यू-1 से यू-3	उत्तराखंड/एनटीपीसी	171
6	विष्णुगाड पीपलकोटि 4x111= 444 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड/टीएचडीसी	444
7	सुबानसिरी लोअर 8x250= 2000 मेगावाट	यू-1 से यू-8	अरुणाचल प्रदेश/एनएचपीसी	2000
8	कामेंग 4x150= 600 मेगावाट	यू-1 से यू-4	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	600
9	पारे 2x55= 110 मेगावाट	यू-1 से यू-2	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	110
10	रम्माम-III 3x40=120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	पश्चिम बंगाल/एनटीपीसी लि.	120
11	नैटवर मोरी 2x30=60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	उत्तराखंड/एसजेवीएनएल	60
<b>राज्य क्षेत्र</b>				
12	परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाट	यू-1 से यू-3	जेएंडके/जेकेएसपीडीसी	37.5
13	लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट	यू-1 से यू-2	जेएंडके/जेकेएसपीडीसी	48
14	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8= 206 मेगावाट	यू-1 से यू-7	पंजाब/सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	206
15	उहल-III 3x33.33= 100 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/ब्यास वैली पावर कारपो. लि. (बीवीपीसी)	100
16	स्वारा कुड्डू 3x37= 111 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	111
17	शौंगटोंग करछम 3x150= 450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	450
18	व्यासी 2x60=120 मेगावाट	यू- 1 & यू- 2	उत्तराखंड/यूजेवीएनएल	120
19	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40= 80 मेगावाट	यू-1 से यू-2	महाराष्ट्र/डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार	80
20	पोलावरन 12x80= 960 मेगावाट	यू-1 से यू-12	आंध्र प्रदेश/पोलावरन प्रोजेक्ट अथॉरिटी	960
21	पुलीचिंताला 4x30= 120 मेगावाट (90 मेगावाट चालू)	यू-4	तेलंगाना/टीएसजेको	30
22	पल्लीवसल 2x30= 60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केरल/केएसईबी	60
23	थोटियार 1x30 + 1x10= 40 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केरल/केएसईबी	40
24	कुंडहा पम्पड स्टोरेज फेज-I 1x125= 125 मेगावाट	यू-1	तमिलनाडु/टांजेडको	125
<b>कुल</b>				<b>9192.5</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 6355 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाओं में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की राज्य-वार और परियोजना-वार आरएंडआर स्थिति**

क्रम सं.	राज्य	परियोजना	विस्थापित और पुनर्स्थापित पीएपी (सं.)	पुनर्वासित किए जाने वाले पीएपी (सं.)	को पुनर्वास पैकेज का भुगतान किया गया (सं.)	शेष पीएपी, जिन्हें पुनर्वास पैकेज का भुगतान किया जाना है (सं.)	अभ्यक्तियां
1	बिहार	बाढ़	0	1884	1468	416	जिला प्रशासन से पीएपी सूची प्रतीक्षित है।
2	छत्तीसगढ़	लारा	9	2485	1832	653	प्रगति पर है
3	हिमाचल प्रदेश	कोलडैम	0	16	16	0	पूरी की गई
4	झारखंड	एनकेएसटीपीपी	612	2961	2714	247	प्रगति पर है
5	कर्नाटक	कुडगी	28	1435	1176	259	प्रगति पर है
6	महाराष्ट्र	मौदा	0	0	0	0	पूरी की गई
7		सोलापुर	99	726	697	29	प्रगति पर है
8	मध्य प्रदेश	गदरवारा	0	797	797	0	पूरी की गई
9		खारगोन	0	1254	1254	0	पूरी की गई
10	ओडिशा	दार्लीपल्ली	241	362	340	22	प्रगति पर है
11	उत्तराखंड	तपोवन	0	0	0	0	पूरी की गई
12		लता तपोवन	0	0	0	0	पूरी की गई
13	उत्तर प्रदेश	टांडा-II	363	1238	609	629	प्रगति पर है
14	पश्चिम बंगाल	रम्माम-III	48	377	327	50	प्रगति पर है
			<b>1400</b>	<b>13535</b>	<b>11230</b>	<b>2305</b>	
<b>संयुक्त उद्यम परियोजनाएं</b>							
15	बिहार	बीआरबीसीएल (जेवी)	07	1745	7	1738	प्रगति पर है
16		एनपीजीसी (जेवी)	103	3000	394	2606	प्रगति पर है.
17		कांती	130	1360	1360	0	पूरी की गई
18	ओडिशा	राउरकेला (जेवी)	0	0	0	0	भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई
19		दुर्गापुर (जेवी)	0	0	0	0	भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई
20	उत्तर प्रदेश	मेजा (जेवी)	132	985	985	0	पूरी की गई
			<b>372</b>	<b>7090</b>	<b>2746</b>	<b>4344</b>	
		<b>सकल योग</b>	<b>1772</b>	<b>20625</b>	<b>13976</b>	<b>6649</b>	

\* एनटीपीसी ने बॉगाईगांव परियोजना के लिए कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की है क्योंकि परियोजना राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी।

\* सोलर पार्क में सोलर परियोजना स्थापित करने के लिए एनटीपीसी की भूमि अधिग्रहण में कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

\* 50 मेगावाट रोजमल पवन विद्युत परियोजना के निर्माण कोई व्यक्ति विस्थापित/प्रभावित नहीं हुआ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6375

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत तक पहुंच

6375. डॉ. अंशुल वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युतीकृत गांवों, शहरों और नगरों में सभी घरों में बिजली पहुंच गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) गांवों, शहरों और नगरों में प्रतिदिन राज्य-वार औसतन कितने घंटे बिजली प्रदान की जा रही है;
- (ग) गांवों, शहरों और नगरों में प्रति घर बिजली की राज्य-वार औसत खपत कितनी है; और
- (घ) गत दो वर्षों के दौरान गांवों, शहरों और नगरों में लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : केंद्र सरकार राज्यों को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आवश्यक अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता प्रदान कर रही है। भारत सरकार ने सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू की है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी तथा सभी गैर-विद्युतीकृत आवासों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब गैर-विद्युतीकृत आवासों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराती है। सभी शेष गैर-विद्युतीकृत आवासों का मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) : दी गई सूचना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में औसत विद्युत आपूर्ति घंटे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) : विगत तीन वर्षों के लिए राज्यवार प्रति व्यक्ति खपत **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) : भारत सरकार ने सभी आवासों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। 01.04.2019 से सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने "सभी के लिए 24X7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य आदि सहित अपनी योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 6375 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की स्थिति

माह : जनवरी, 2018

क्रम सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों को एक दिन में विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे
1	आंध्र प्रदेश	23.99
2	अरुणाचल प्रदेश	14.30
3	असम	18.33
4	बिहार	16.45
5	छत्तीसगढ़	23.00
6	गुजरात	24.00
7	हरियाणा	14.91
8	हिमाचल प्रदेश	24.00
9	जम्मू व कश्मीर	13.5
10	झारखंड	18.13
11	कर्नाटक	19.81
12	केरल	23.00
13	मध्य प्रदेश	23.71
14	महाराष्ट्र	23.32
15	मणिपुर*	22.38
16	मेघालय	21.50
17	मिजोरम	11.50
18	नागालैंड*	20.00
19	ओडिशा	20.75
20	पंजाब	24.00
21	राजस्थान	22.00
22	सिक्किम	17.5
23	तमिलनाडु	24.00
24	तेलंगाना	24.00
25	त्रिपुरा	23.50
26	उत्तर प्रदेश*	17.72
27	उत्तराखंड*	23.00
28	पश्चिम बंगाल	24.00

\* नागालैंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर के दिसंबर, 2017 माह के आंकड़े, उत्तराखंड के जनवरी, 2017 माह के आंकड़े शामिल किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 6375 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

राज्य-वार प्रति व्यक्ति विद्युत खपत (यूनिट) (स्रोत-सीईए आम समीक्षा)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/रेग. का नाम	2014-15	2015-16	2016-17
चंडीगढ़	1052	1112	1128
दिल्ली	1561	1557	1574
हरियाणा	1909	1936	1975
हिमाचल प्रदेश	1336	1339	1340
जम्मू व कश्मीर	1169	1234	1282
पंजाब	1858	1919	2028
राजस्थान	1123	1164	1166
उत्तर प्रदेश	502	524	585
उत्तराखंड	1358	1431	1454
<b>उप-जोड़ (एनआर)</b>	<b>927</b>	<b>957</b>	<b>1003</b>
छत्तीसगढ़	1719	2022	2016
गुजरात	2105	2248	2279
मध्य प्रदेश	813	929	989
महाराष्ट्र	1257	1318	1307
दमन व दीव	6960	7836	7965
दादरा व नागर हवेली	13769	15137	15783
गोवा	1803	2738	2466
<b>उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)</b>	<b>1393</b>	<b>1515</b>	<b>1533</b>
आंध्र प्रदेश	1040	1230	1319
तेलंगाना	1356	1439	1551
कर्नाटक	1211	1242	1367
केरल	672	704	763
तमिलनाडु	1616	1688	1847
पुडुचेरी	1655	1672	1784
लक्षद्वीप	657	649	633
<b>उप-जोड़ (एसआर)</b>	<b>1271</b>	<b>1316</b>	<b>1432</b>
बिहार	203	258	272
झारखंड	835	884	915
ओडिशा	1419	1564	1622
पश्चिम बंगाल	647	660	665
सिक्किम	685	687	806
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	361	355	370
<b>उप-जोड़ (ईआर)</b>	<b>618</b>	<b>675</b>	<b>694</b>
अरुणाचल प्रदेश	525	600	648
असम	314	322	339
मणिपुर	295	360	326
मेघालय	704	835	832
मिजोरम	449	503	523
नागालैंड	311	346	345
त्रिपुरा	303	329	470
<b>उप-जोड़ (एनईआर)</b>	<b>338</b>	<b>369</b>	<b>392</b>
<b>कुल अखिल भारत</b>	<b>1010</b>	<b>1075</b>	<b>1122</b>

प्रति व्यक्ति खपत = (सकल ऊर्जा उत्पादन+निवल आयात)/मध्य वर्ष जनसंख्या

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6377

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

झारखण्ड में गांवों का विद्युतीकरण

6377. श्री जनक राम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विभिन्न राज्यों में ऐसे गांवों की राज्य-वार संख्या और राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनका अब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है;
- (ख) झारखंड राज्य के पलामू एवं गढ़वा जिले में उन गांवों की कुल संख्या कितनी है जिनका अब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और
- (ग) उक्त गांवों के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 01.04.2015 की तिथि के अनुसार देश में 18,452 गैर-विद्युत जनगणना गाँव थे। 01.04.2018 की तिथि के अनुसार शेष केवल 323 जनगणना गाँव गैर-विद्युतीकृत रहे। शेष गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों को 01 मई, 2018 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 01 अप्रैल, 2015 को 2,525 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव थे और इनमें 58 गैर आबादी वाले गाँवों को छोड़कर अब सभी विद्युतीकृत कर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 6377 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार स्थिति

क्रम सं.	राज्य	01.04.2018 की स्थिति के अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांव (01.04.2015 को सूचित किए गए अनुसार 18,452 में से)
1	अरुणाचल प्रदेश	205
2	छत्तीसगढ़	33
3	जम्मू व कश्मीर	66
4	मध्य प्रदेश	3
5	ओडिशा	3
6	उत्तराखंड	13
	<b>कुल</b>	<b>323</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-6409  
जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है।

विद्युत आपूर्ति तंत्र

6409. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विद्युत आपूर्ति तंत्र सुधार और पारेषण हानि को कम करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में निर्मित नए ग्रिड उप-केन्द्रों की संख्या कितनी है; और
- (ग) उक्त ग्रिड उप-केन्द्रों की स्थापना के बाद राजस्थान में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हेतु चयनित गांवों के नाम क्या हैं और ऐसा लाभ प्राप्त करने वाले गांवों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने राज्यों को उनके विद्युत आपूर्ति तंत्रों में सुधार लाने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे समेकित विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और उज्ज्वल डिस्कॉम एशोरेंस योजना (उदय) के माध्यम से वितरण अवसंरचना के आईटी सक्षमीकरण, फीडर मीटरिंग, फीडर पृथक्करण और एटीएंडसी हानियां ट्रेजेक्टरी की निगरानी जैसी कई मध्यस्थताएं की हैं। पावर ग्रिड द्वारा प्रबंधित एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण प्रणाली की हानियां 2-3% हैं। पारेषण प्रणाली न्यूनतम पारेषण हानियों के साथ विद्युत अंतरण के लिए नियमित संवर्धित की जाती है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 (28.2.2018 तक) के दौरान कुल 615 नए ग्रिड उपकेंद्र चालू किए गए हैं।

(ग) : भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सभी को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने और अप्रैल, 2019 से राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राजस्थान सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6412

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है।

ऊर्जा दक्ष भवन

6412. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है कि देश में सभी विद्यमान और भावी सरकारी और वाणिज्यिक भवनों को ऊर्जा दक्ष बनाया जाए;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप अनुमानित मात्रा और विद्युत बचत का मान कितना है; और
- (ग) उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : मौजूदा और भावी सरकारी और वाणिज्यिक भवनों सहित सभी भवनों को ऊर्जा दक्ष बनाना एक सतत प्रक्रिया है। इस दिशा में भारत सरकार ने निम्नलिखित पहलें शुरू की हैं-

- i. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने अपना एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कोड- 2017 (ईसीबीसी-2017) प्रकाशित किया है जिसमें ऊर्जा दक्ष भवनों के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा-निर्देश की व्यवस्था है। यह कोड 100 केडब्ल्यू या उससे अधिक या 120 केवीए या उससे अधिक के कंट्रेक्ट डिमांड से जुड़े भार वाले वाणिज्यिक भवनों पर लागू है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित संबंधित प्राधिकारियों को इस कोड को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है।
- ii. भारत सरकार ने सभी सरकारी भवनों में एलईडी आधारित लाइटिंग और ऊर्जा दक्ष उपकरणों को लगाना अनिवार्य कर दिया है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से देशभर में केंद्र सरकार के भवनों में इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है।
- iii. आवास और शहरी मामला मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग बाई लॉज-2016 (एमबीबीएल-2016) जारी किया है जिसमें ऊर्जा दक्ष भवनों के निर्माण के प्रावधानों सहित ग्रीन बिल्डिंगों के लिए विभिन्न मानकों की वकालत की गई है। एमबीबीएल अपनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

31 मार्च, 2018 तक एनर्जी एफिसेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) जोकि विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संयुक्त उद्यम है, ने 1346 भवनों में भवन ऊर्जा दक्ष परियोजनाएं पूरी की हैं जिसके परिणामस्वरूप 64.97 मिलियन केडब्ल्यूएच से अधिक की ऊर्जा बचत और 68.21 करोड़ रुपए की लागत बचत हुई है। इसके अतिरिक्त, कई मंत्रालयों/विभागों जिसमें उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं, ने भी अन्य एजेंसियों जैसे कि केंद्रीय निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस) आदि के माध्यम से एलईडी आधारित लाइटों और ऊर्जा दक्ष उपकरणों की रेट्रोफिटिंग से अपने भवनों को ऊर्जा दक्ष भवन में बदल दिया है। इन प्रयासों से अतिरिक्त ऊर्जा और लागत बचतें भी होंगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6413

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है।

सी.एस.आर. के अंतर्गत व्यय

6413. श्री बी.वी. नाईकः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के अंतर्गत विभिन्न कम्पनियों द्वारा व्यय की गई निधि की मात्रा कितनी है;
- (ख) उक्त वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि का राज्य-वार, जिला-वार और कार्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सी.एस.आर. के अंतर्गत कर्नाटक को कम निधि जारी की गई है जिसके कारण लोगों को कम लाभ प्राप्त हुए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय के अधीन विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत खर्च की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (घ) : सीएसआर के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय के अधीन सीपीएसयू, विभिन्न कार्यकलापों पर जो खर्च करते हैं वे मोटे तौर पर नीचे दिए अनुसार वर्गीकृत किए गए हैं:

- i. शिक्षा और कौशल विकास का संवर्धन
- ii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
- iii. पेयजल और स्वच्छता
- iv. उद्यमशीलता विकास
- v. महिला सशक्तिकरण
- vi. पर्यावरण संरक्षण
- vii. खेल-कूद, कला, संस्कृति और विरासत
- viii. ग्रामीण विकास
- ix. स्थानीय क्षेत्र विकास
- x. अवसंरचनात्मक विकास

कर्नाटक राज्य सहित सीएसआर के अंतर्गत खर्च की गई निधियों के वितरण की राज्यवार और जिलावार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 05.04.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 6413 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले तीन वर्षों के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसयू द्वारा व्यय की गई निधियों की मात्रा:

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय/संवितरित की गई सीएसआर राशि		
		2014-15	2015-16	2016-17
1	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको)	962.47	1030.58	607.58
2	टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल)	2909.00	1335.00	1534.84
3	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल)	2483.00	2887.00	3716.12
4	नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी)	5223.94	7267.58	7581.87
5	पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी)	5168.25	19552.40	12585.08
6	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	4741.58	11594.03	14728.95
7	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी)	20517.00	49181.00	27781.00
8	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी)	10178.29	12349.43	6670.00

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6415

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

सभी गांवों को बिजली

6415. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

श्री निशिकान्त दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.वाई.) के अंतर्गत देश के सभी गांवों में बिजली प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है और झारखंड के ऐसे गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा सभी गांवों को बिजली प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत देश भर में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 01.04.2015 को देश में 18,452 गैर-विद्युत जनगणना गाँव थे। 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार शेष केवल 323 जनगणना गाँव गैर-विद्युतीकृत थे। शेष गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों को 01 मई, 2018 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड राज्य ने 01 अप्रैल, 2015 की तिथि के अनुसार, 2,525 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव की सूचना दी और इनमें 58 गैर आबादी वाले गाँवों को छोड़कर अब सभी विद्युतीकृत हो गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6429

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है।

केरल में जलविद्युत संयंत्र

6429. श्री जोस के. मणि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केरल राज्य में स्थित अधिकांश जलविद्युत संयंत्र, जिनका राज्य की कुल उत्पादित विद्युत क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत योगदान है, अपनी उपयोगितावधि पूरी कर चुके हैं और बिना नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के ही प्रचालित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त जलविद्युत संयंत्रों की वर्धित प्रचालनगत और अनुरक्षणगत लागत को पूरा करने के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग से कुछ और अधिक धनराशि मांगी है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर आयोग की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : 25 मेगावाट से अधिक की स्टेशन क्षमता वाले उन जल विद्युत संयंत्रों जो अपना उपयोगी जीवनकाल पूरा कर चुके हैं और नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) के पश्चात चल रहे हैं, की सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	वर्ग	आरएण्डएम कार्य के पूरा होने का वर्ष
1.	पल्लीवासल	37.5	नवीनीकरण आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार (आरएमएण्डएलई)	2002-03
2.	संगुला	48	आरएमएण्डएलई	2002-03
3.	पन्नीआर	30	आरएमएण्डएलई	2002-03
4.	नेरीआमंगलम	70	नवीनीकरण आधुनिकीकरण ऑपरेटिंग एवं जीवन विस्तार (आरएमयूएण्डएलई)	2006-07
5.	सबरीगीरी	300	आरएमएण्डयू	2014-15
6.	पोरींगलकुथु	32	आरएमयूएण्डएलई	2015-16

इड्डुक्की स्टेज-I यूनिटें और शोलायार एचईपी में आरएण्डएम कार्य प्रगति पर हैं। कुट्टीयादी एचईपी के आरएण्डएम के लिए निविदा पहले ही जारी कर दी गई है। इड्डुक्की स्टेज-II की योजना (वर्ष 2022-27 के दौरान आरएण्डएम के लिए कार्यक्रम) बनाई गई है।

(ख) और (ग) : केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एवं केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) से जल विद्युत संयंत्रों की बढ़ी हुई प्रचालन एवं रख-रखाव लागतों की भरपाई करने के लिए कोई निधि नहीं मांगी है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6432

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

सुदूरवर्ती गांवों को सौर ऊर्जा

6432. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सुदूरवर्ती ग्रामों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित विद्युत इकाइयों से शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हेतु सुदूरवर्ती ग्रामों को भी शामिल किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण विद्युतीकरण की लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कुल कितने ग्रामों को सौर ऊर्जा आधारित विद्युत इकाइयों से लैस किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : देश में सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना वाले गाँवों, जिनमें सुदूर गाँव भी शामिल हैं, को ऑन-ग्रिड अथवा ऑफ-ग्रिड मोड के माध्यम से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। दिनांक 27.03.2018 की स्थिति के अनुसार, संपूर्ण देश में 4,375 विकेंद्रीकृत वितरण उत्पादन (डीडीजी) सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं, जिसमें 3,377 गाँव शामिल हैं, को संस्वीकृत किया गया है। इसमें से 2,321 डीडीजी परियोजनाओं, जिसमें 1,446 गाँव शामिल हैं, को पहले ही चालू कर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6437

जिसका उत्तर 05 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

सौभाग्य के अन्तर्गत बैक-एंड अवसंरचना लागत

6437. श्रीमती रीता तराई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सौभाग्य योजना बैक-एंड प्रणाली में अवसंरचना 11केवी/33केवी लाइनों, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि सहित एच टी नेटवर्क में सुधार की कोई व्यवस्था नहीं करती है जबकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (आरजीजीवीवाई) और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसी पूर्व की केन्द्रीय योजनाएं इस प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान करती थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार आरजीजीवीवाई और डीडीयूजीजेवाई योजनाओं की तरह सौभाग्य योजना के अन्तर्गत बैक-एंड अवसंरचना लागत के प्रावधान पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार ने सभी घरों का विद्युतीकरण करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य की शुरुआत की है। प्रत्येक गांव में 33 केवी लाइनों, वितरण ट्रांसफॉर्मरों और पर्याप्त क्षमता की 11 केवी एवं एलटी लाइनों के साथ-साथ फीडर पृथक्करण, पर्याप्त क्षमता के उपकेंद्रों के सृजन के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण और दक्ष ग्रामीण वितरण प्रणाली के लिए विद्युत अवसंरचना सुदृढ़ किए जाने के लिए आरई घटक सहित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत राज्यों को परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस प्रकार डीडीयूजीजेवाई सौभाग्य के लिए आवश्यक बैक-एंड प्रणाली अवसंरचना की व्यवस्था है। सौभाग्य में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की व्यवस्था है।

\*\*\*\*\*